खण्ड-276, अंक-1
सोमवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1890
(17 मार्च, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 276 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

सोमवार, १७ मार्च, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
अध्यक्ष पद पर कार्य करने हेतु श्री ए० सी० ग्राइस, सदस्य विधान सभा की श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति	६
शपथ न लेने वाले सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष का निर्देश ..	६
सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन	६–७
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री आत्माराम गोविन्द खेर को बधाई ..	७–१२
अनुपूरक आय-व्ययक की प्रतियां प्रस्तुतीकरण से पूर्व सदन में रखने पर आपत्ति	१४
श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का आंशिक पाठ ..	१४
भूतपूर्व राज्यपाल, श्री होमी मोदी, भूतपूव सदस्य, डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, सर्वश्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, कृष्णदत्त पालीवाल, जगमोहन सिंह नेगी, रऊफ जाफरी, कल्याण चन्द मोहिले, राम स्वरूप गुप्त, देव नारायण भारतीय, देवेन्द्र सिंह मेहरा, शौकत हमीद खां, काजी मुहम्मद सर्वत हुसैन, कुंवर रुकुम सिंह राठौर, फ़ारूक चिश्ती, खानचन्द गौतम, गनपत सहाय, कन्हई तथा विधान परिषद् के भूतपूर्व सभापति श्री दरबारी लाल शर्मा और तामिल नाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कांजीवरम् नटराजन अन्नादुराई के निधन पर शोकोद्गार ..	१४–२०
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) द्वितीय तथा तृतीय आदेश, १९६८ (मेज पर रखे गये)	२०
१९६८–६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	२०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२१
नत्थी	२२–२९

मंगलवार, १८ मार्च, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२९–३३
प्रश्नोत्तर	३४–४०
अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा	४०
चालू सप्ताह के कार्यक्रम के संबंध में सूचना	४०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	४०–९०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (अनुज्ञा नहीं दी गई)	९०
वाराणसी में विषैली शराब से मृत्युओं के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना ..	९०–९२
सूखे की स्थिति पर विवाद के लिए समय की मांग	९२
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	९२ १०१
नत्थी	१०२–१४०

बुधवार, १९ मार्च, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४१–१४५
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१४६
प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गई)	१४६–१४८
१९६८–६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	१४८–१९६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	१६९–१९७
१९६८–६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--	
अनुदान संख्या १--वृहत् जोतकर (स्वीकृत)	१९७
अनुदान संख्या २--भू-राजस्व (स्वीकृत)	१९७
अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	१९७
अनुदान संख्या ६--स्टाम्प (स्वीकृत)	१९७–१९८
अनुदान संख्या ९--निर्वाचन (स्वीकृत)	१९८
अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	१९८
अनुदान संख्या १३--न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	१९८
अनुदान संख्या १४--कारागार (स्वीकृत)	१९९

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या १५—पुलिस (स्वीकृत)	१९९
अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	१९९
अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	१९९
अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (स्वीकृत)	२००
अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	२००
अनुदान सं या २१—कृषि सम्बन्धी विकास (स्वीकृत)	२००
अनुदान संख्या २२—उपवेशन (स्वीकृत)	२००
अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	२०१
अनुदान संख्या २४—सहकारिता (स्वीकृत)	२०१
अनुदान संख्या २५—उद्योग (स्वीकृत)	२०१
अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत)	२०१–२०२
अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	२०२
अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) ..	२०२
अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (स्वीकृत)	२०२
अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	२०३
अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	२०३
अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	२०३
अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत) ..	२०३–२०४
अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	२०४
अनुदान संख्या ३७—परिवहन (स्वीकृत)	२०४
अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	२०४
अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत)	२०४–२०५
अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	२०५
अनुदान संख्या ४२—वन (स्वीकृत)	२०५
अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	२०५
अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	२०५–२०६
अनुदान संख्या ४७—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	
अनुदान संख्या ४८—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	२०६
अनुदान संख्या ४९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पूंजी परि यय (स्वीकृत)	२०६
अनुदान संख्या ५०—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	२०७
अनुदान संख्या ५३—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	२०७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८–६९ का द्वितीय अनुपूरक) (विधेयक) १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	२०५–२१३

बृहस्पतिवार, २० मार्च, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२१५–२१९
विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	२१९–२२१
कतिपय समाचार पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	२२१–२२२
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	२२२–२७५
गन्ना काश्तकार को गन्ने का कम मूल्य मिलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	२७५
वाराणसी में विषाक्त शराब से हुई मृत्युओं के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२७५–२८०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	२८७

शुक्रवार, २१ मार्च, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२४१–२९३
श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२९४–२९६
प्रश्नों के कार्यक्रम में न छपने के सम्बन्ध में जानकारी	२९६–२९७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	२९७–३४९
कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	३४९
उर्दू में शपथ न लेने देने सम्बन्धी विवाद पर सरकार से वक्तव्य की मांग ..	२४९–३५०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८–६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ (विधान परिषद् से वापस प्राप्त होने की सूचना)	३५०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	३५०–३५८
विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (स्थगित) ..	३५८–३६४

सोमवार, २४ मार्च, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३६५–३६९
प्रश्नोत्तर	३७०–३७६
प्रश्नों के कार्य सूची में न आने के सम्बन्ध में जानकारी	३७७
विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति पर पुनः चर्चा की मांग	३७७–३७८

विषय	पृष्ठ-संख्या
पायनियर तथा नेशनल हेराल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी)	३७८–३८०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	३८०–३८४
१९६९–७० का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	३८४–३८९
१९६९–७० का लेखानुदान का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया गया) ..	३९०–३९६
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३९६–४३७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें (अस्वीकृत) ..	४३७–४३९
प्रदेश में चीनी मिल-मालिकों द्वारा किसानों को गन्ने के उचित दाम न दिये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४४०–४४६
नत्थी	४४७–४५१

मंगलवार, २५ मार्च, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४५३–४५७
प्रश्नोत्तर	४५८–४७६
उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन	४७६–४८६
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री वासुदेव को बधाई	४८६–४८९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९६९ (मेज पर रखी गयी)	४८९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अभिलेखों का अनुरक्षण तथा निर्दान) नियमावली, १९६८ (मेज पर रखी गयी)	४८९
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ (मेज पर रखी गयी)	४९०
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६९ (मेज पर रखी गयी)	४९०
श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	४९०–४९१
लेखानुदान प्रस्तुत न किये जा सकने के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	४९१–५०२
१९६९–७० का लेखानुदान (स्वीकृत)	५०२–५०६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	५०६–५०९
विद्युत परिषद् द्वारा उधार लेने की सीमा में वृद्धि करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	५०९–५१०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	५११
विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (स्वतः समाप्त)	५११–५३७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८–६९) का द्वितीय (अनुपूरक) विधेयक, १९६९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५३७

प्रदेश सरकार

शासन

राज्यपाल

डा० बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी

मंत्रि-परिषद्

(१) श्री चन्द्रभानु गुप्त, सदस्य विधान सभा, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, सूचना, वन तथा आबकारी मंत्री।

(२) श्री कमलापति त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा, उप मुख्य मंत्री, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री।

(३) श्री गिरधारीलाल, सदस्य विधान सभा, सार्वजनिक निर्माण तथा राज्य सम्पत्ति मंत्री।

(४) श्री मंगला प्रसाद, सदस्य विधान परिषद्, खाद्य तथा रसद मंत्री।

(५) श्री चतुर्भुज शर्मा, सदस्य विधान सभा, राजस्व तथा सहायता एवं पुनर्वास मंत्री।

(६) डा० सीताराम, सदस्य विधान सभा, कृषि उत्पादन, गन्ना विकास तथा पशुपालन मंत्री।

(७) श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, सदस्य विधान सभा, उद्योग तथा परिवहन मंत्री।

(८) श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, सदस्य विधान सभा, वित्त मंत्री।

(९) श्री रामजीलाल सहायक, सदस्य विधान सभा, शिक्षा मंत्री।

(१०) श्री लक्ष्मीशंकर यादव, सदस्य विधान सभा, सहकारिता मंत्री।

(११) श्रीमती विद्यावती राठौर, सदस्य विधान सभा, हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री।

(१२) श्री स्वामी प्रसाद सिंह, सदस्य विधान सभा, न्याय मंत्री।

(१३) श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा, नियोजन तथा श्रम मंत्री।

(१४) श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य विधान सभा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मंत्री।

(१५) श्री अतीकुर्रहमान, सदस्य विधान सभा, स्वायत्त शासन मंत्री।

(१६) श्री अजीत प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा, कारागार तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री।

प्रवाह बहुत

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१	अजब सिंह, श्री	.. कांधला
२	अजीत प्रताप सिंह, श्री ..	.. प्रतापगढ़
३	अतीकुर्रहमान, श्री ..	.. नगीना
४	अनन्त राम जायसवाल, श्री ..	.. नवाबगंज
५	अनवार अहमद, श्री ..	.. उन्नाव
६	अनीसुर्रहमान, श्री ..	.. गंगीरी
७	अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री ..	.. सादुल्लानगर
८	अब्दुल सलाम शाह, श्री ..	.. कमालगंज
९	अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री ..	.. नौगढ़
१०	अमरनाथ, श्री	.. कोलासला
११	अली जहीर, श्री सैयद ..	.. पीलीभीत
१२	अवधेश कुमार, श्री ..	.. मिसरिख
१३	अवधेश प्रताप मल्ल, श्री ..	.. बरहज
१४	अवेद्यनाथ, श्री	.. मानीराम
१५	अशफाक अहमद, श्री ..	.. बरेली कैंट
१६	अशरफ अली खां, श्री ..	.. सादाबाद
१७	अहमद लूत खां, श्री ..	.. अलीगढ़
१८	अहमदुल्ला खां, श्री ..	.. ठाकुरद्वारा
१९	आनन्द ब्रह्म शाह, राजा ..	.. राजगढ़
२०	आनन्द सिंह, श्री	.. मनकापुर
२१	आबिद अली, श्री	.. लहरपुर
२२	आशाराम इन्दु, श्री ..	.. हस्तिनापुर (अ० जा०)
२३	आशा सिंह, श्रीमती ..	.. हरदोई
२४	इन्द्रजीत सिंह, श्री ..	.. किशुनपुर (अ० जा०)
२५	इन्द्रमणी, श्री	.. देव प्रयाग
२६	इन्द्र मोहिनी, श्रीमती ..	.. चन्दौसी
२७	इन्द्रलाल, श्री	.. हलद्वानी (अ० जा०)
२८	इम्तियाज हुसैन, श्री ..	.. लखनऊ (मध्य)
२९	ईश्वर दयाल, श्री	.. मुरादनगर
३०	उदय नाथ, श्री	.. चिरई गांव

१	२		३
३१	उदय प्रताप सिंह, श्री	.. ..	लम्भुवा
३२	उदित नारायण, श्री	.. ..	खजुहा
३३	उपेन्द्र नाथ, श्री ..	.. ..	सरसौल
३४	उमाकान्त बाजपेयी, श्री	(उर्फ भय्या जी) ..	फतेहपुर
३५	उमादत्त शर्मा, श्री	.. ..	(मेरठ कैंट)
३६	उमानाथ सिंह, श्री	.. ..	बयालसी
३७	उमाशंकर तिवारी, श्री	.. ..	मुगलसराय
३८	उमाशंकर शुक्ला, श्री	.. ..	शाहजहांपुर
३९	ऋषिपाल सिंह, श्री	.. ..	गुन्नौर
४०	ए० सी० ग्राइस, श्री	.. ..	—
४१	ओम प्रकाश सिंह, श्री	.. ..	आलमपुर
४२	कन्हैयालाल, श्री ..	.. ..	गोवर्द्धन (अ० जा०)
४३	कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री	.. ..	पिहानी, (अ० जा०)
४४	कन्हैयालाल सोनकर, श्री	.. ..	चायल (अ० जा०)
४५	कमलापति, श्री ..	.. ..	चन्दौली
४६	करन सिंह, श्री	.. ..	निघासन
४७	कलारानी, श्रीमती	.. ..	बिलग्राम
४८	कल्पनाथ सिंह, श्री	.. ..	चिल्लूपार
४९	कल्यान सिंह, श्री	.. ..	अतरौली
५०	काजी मसूद, श्री	.. ..	नकुड़
५१	किशनलाल, श्री ..	.. ..	बरखेड़ा (अ० जा०)
५२	कुदसिया बेगम, श्रीमती	.. ..	संडीला
५३	कृपा दयाल, श्री	.. ..	बिसवां
५४	कृष्ण कान्त, श्री ..	.. ..	बेहटा
५५	कृष्णचन्द्र, श्री ..	.. ..	महरौनी
५६	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)		.. खागा
५७	कृष्ण मगन सिंह, श्री	.. ..	रुदौली
५८	कृष्ण सिंह, श्री ..	.. ..	उत्तरकाशी
५९	कृष्ण स्वरूप, श्री ..	.. ..	बदायूं
६०	कृष्णानन्द राय, श्री	.. ..	दिलदारनगर
६१	केदार नाथ, श्री	.. ..	बहराइच
६२	केशवचन्द्र सिंह, श्री	.. ..	जलालाबाद
६३	केशोराम, श्री ..	.. ..	अंबियापुर (अ० जा०)
६४	केशोराम, श्री ..	.. ..	आंवला (अ० जा०)

१	२	३
६५	कोरी सुखलाल, श्री ..	.. अजीतमल (अ० जा०)
६६	खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री ..	.. अनूपशहर
६७	गंगा प्रसाद, श्री	.. एटा
६८	गंगा प्रसाद, श्री	.. महादेवा (अ० जा०)
६९	गंगा सिंह, श्री	.. निधौली कलां
७०	गजेन्द्र सिंह, श्री ..	.. बिधूना
७१	गनेशदत्त बाजपेयी, श्री ..	.. जनरलगंज
७२	गया प्रसाद, श्री	.. बिहार (अ० जा०)
७३	गायत्री देवी, श्रीमती ..	.. इगलास
७४	गिरजा शंकर, श्री ..	.. दरियाबाद
७५	गिरधारी लाल, चौधरी ..	.. अफजलगढ़ (अ० जा०)
७६	गुप्तार सिंह, श्री ..	.. सरेनी
७७	गुलाब सिंह, श्री ..	.. मंसूरी
७८	गेंदा सिंह, श्री	.. सेवरही
७९	गोपाल दत्त, श्री ..	.. डीडीहाट
८०	गोपीनाथ दीक्षित, श्री ..	.. बांगर मऊ
८१	गोविन्द सिंह, श्री ..	.. टिहरी
८२	गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री ..	.. कर्बी
८३	घासीराम, श्री	.. लखना (अ० जा०)
८४	चंचल सिंह, श्री	.. विलासपुर
८५	चतुर्भुज शर्मा, श्री ..	.. उरई
८६	चन्द्र नारायन सिंह, श्री ..	.. चरखारी
८७	चन्द्रपाल आजाद, श्री ..	.. गोकुल
८८	चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर	.. पडरौना
८९	चन्द्रभान, श्री	.. कैराना
९०	चन्द्रभानु गुप्त, श्री ..	.. रानीखेत
९१	चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री ..	.. भिनगा
९२	चन्द्रमोहन, श्री .. .	.. लैंसडाउन
९३	चरण सिंह, श्री	.. छपरौली
९४	चित्तर सिंह, श्री	.. माधौगढ़
९५	चिरंजीलाल, श्री	.. जलेसर (अ० जा०)
९६	चेतराम गंगवार, श्री ..	.. नवाबगंज
९७	छांगुर, श्री	.. मेहनगर (अ० जा०)
९८	छेदालाल चौधरी, श्री ..	.. बांकेगंज (अ० जा०)

१	२	३
९९	जंगबहादुर, श्री ..	.. जौनपुर
१००	जंगबहादुर सिंह, श्री ..	.. अतरौलिया
१०१	जगदम्बा प्रसाद, श्री ..	.. जलालपुर
१०२	जगदीश गांधी, श्री ..	.. सिकन्दराऊ
१०३	जगदीश प्रसाद, श्री ..	.. कादीपुर (अ० जा०)
१०४	जगदीश्वर दयाल डाक्टर, (उर्फ डा० मन्ना)	.. छिबरामऊ
१०५	जगन्नाथ खन्ना , श्री ..	.. सहारनपुर
१०६	जगन प्रसाद रावत श्री ..	.. खेरागढ़
१०७	जगन्नाथ प्रसाद, श्री ..	.. औरहरा
१०८	जगन्नाथ राव, श्री ..	.. मड़ियाहूं
१०९	जगमोहन वर्मा, डाक्टर ..	.. झासी
११०	जगरनाथ, श्री ..	.. चिलकहर
१११	जगवीर सिंह, श्री ..	.. अगौता
११२	जमादार, श्री ..	.. सरधना
११३	जयनारायण सिंह, श्री ..	.. हसवा
११४	जलील अब्बासी, श्री ..	.. डुमरियागंज
११५	जितेन्द्रपाल सिंह, श्री ..	.. गंगेश्वरी (अ० जा०)
११६	जे० एन० सिन्हा, श्री ..	.. रुड़की
११७	जैराम, श्री ..	.. कुंडा
११८	ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री ..	.. भोगनीपुर (अ० जा०)
११९	डी० पी० बोरा, श्री ..	.. लखनऊ (पश्चिमी)
१२०	डूंगर सिंह, श्री ..	.. नैनीताल
१२१	तिरमल सिंह, श्री ..	.. पटियाली
१२२	तेज नरायन, श्री ..	.. लखीमपुर
१२३	तेज पाल, श्री ..	.. धाता
१२४	तेजबहादुर, श्री ..	.. बीसलपुर
१२५	तेजभान सिंह, कुंवर ..	.. रामपुर खास
१२६	त्रिलोक चन्द, श्री ..	.. छतारी (अ० जा०)
१२७	त्रिवेणी,श्री ..	.. लालगंज
१२८	त्रिवेणी सहाय, श्री ..	.. गोंडा
१२९	त्रिवेनी सहाय श्री ..	.. दातागंज
१३०	दलसिंगार, श्री ..	.. गोपालपुर
१३१	दीपनरायन बन, श्री ..	.. मुजहेना
१३२	दीपनारायण मणि, श्री ..	.. देवरिया

१	२	३
१३३	दुर्जन, श्री	बबेरू
१३४	दुलारे लाल, श्री	पुरवा (अ० जा०)
१३५	देवकी नन्दन विभव, श्री	आगरा (कैंट)
१३६	देवराम, श्री	जखनियां (अ० जा०)
१३७	देवेन्द्र सिंह, कुंवर	नजीबाबाद
१३८	धनुषधारी पांडेय, श्री	खलीलाबाद
१३९	धर्मदत्त, श्री	शेरगढ़
१४०	धर्मवीर, श्री	मंझनपुर (अ० जा०)
१४१	धर्मवीर सिंह, श्री	मोरना
१४२	धर्मवीर सिंह, श्री	बरनावा
१४३	धर्म सिंह, श्री	जेवर (अ० जा०)
१४४	धूम प्रसाद, श्री	सोहाबल (अ० जा०)
१४५	नगीना सिंह, श्री	कोपाचीट
१४६	नत्था राम रावत, श्री	फतेहपुर (अ० जा०)
१४७	नरेन्द्र सिंह, श्री	बद्री केदार
१४८	नरेन्द्र सिंह, श्री	पिथौरागढ़
१४९	नरोत्तम सिंह, श्री	उसहत
१५०	नसीमउद्दीन, श्री	चमनगंज
१५१	नारायण दत्त तिवारी, श्री	काशीपुर
१५२	नारायण दास, श्री	मोहनलाल गंज (अ० जा०)
१५३	नित्यानन्द स्वामी, श्री	देहरादून
१५४	निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) ..	सिकन्दरपुर
१५५	निहाल सिंह, श्री	औराई
१५६	नेतराम सिंह, श्री	कासगंज
१५७	नैनसिंह, श्री	चरथावल (अ० जा०)
१५८	नैपाल, श्री	खेकड़ा
१५९	नौनिहाल सिंह, श्री	कांठ
१६०	पन्नालाल, श्री	बिन्दकी
१६१	परमाई लाल, श्री	अहिरोरी (अ० जा०)
१६२	पारस नाथ सिंह, श्री	नानपारा
१६३	पूरन चन्द, श्री	कोल (अ० जा०)
१६४	प्यारेलाल, श्री	गाजियाबाद
१६५	प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती	फरेंदा
१६६	प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर	आगरा (पूर्वी)

१	२	३
१६७	प्रताप नारायन, श्री	.. हमीरपुर
१६८	प्रभाकर त्रिपाठी, श्री ..	.. गोविन्दनगर
१६९	प्रियदर्शी जेटली, श्री ..	.. अकबरपुर
१७०	प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री	.. हाथरस
१७१	प्रेम नारायन, श्री	.. मऊरानीपुर (अ० जा०)
१७२	फिरंगी, श्री	.. झंगहा (अ० जा०)
१७३	बंश गोपाल शुक्ल, श्री ..	.. लखनऊ (पूर्वी)
१७४	बंशीधर, श्री	.. शाहाबाद (अ० जा०)
१७५	बंशीधर पांडेय, श्री ..	.. ज्ञानपुर
१७६	बंशीधर मिश्रा, श्री	.. फूलजेहड़
१७७	बच्चा सिंह, श्री	.. बांसडीह
१७८	बदन सिंह, श्री	.. सकीत
१७९	बद्री प्रसाद, श्री	.. मियागंज (अ० जा०)
१८०	बनारसी, श्री	.. मार्टीनगंज (अ० जा०)
१८१	बब्बन, श्री	.. सीयर
१८२	बलराम सिंह यादव, श्री ..	.. भरथना
१८३	बलबीर सिंह, श्री	.. गढ़मुक्तेश्वर
१८४	बसन्तलाल, श्री	.. कोंच (अ० जा०)
१८५	बसन्त लाल, श्री	.. मलिहाबाद (अ० जा०)
१८६	बसन्तलाल शर्मा, श्री ..	.. शिवपुर
१८७	बांकेलाल, श्री ..	.. हाटा
१८८	बिशन लाल, श्री ..	.. बहजोई
१८९	बिहारी लाल, श्री ..	.. कन्नौज
१९०	बेनीसिंह, श्री	.. घाटमपुर
१९१	बैजनाथ सिंह, श्री ..	.. नौरंगिया (अ० जा०)
१९२	बैजनाथ, श्री	.. धानापुर
१९३	ब्रजराज सिंह, श्री ..	.. मौदहा
१९४	भगवत दयाल सिलौइया, डाक्टर ..	.. ललितपुर (अ० जा०)
१९५	भगवती सिंह विशारद, श्री ..	.. भगवन्तनगर
१९६	भगेलू सिंह, श्री ..	.. करनैलगंज
१९७	भगौती प्रसाद, श्री ..	.. इकौना (अ० जा०)
१९८	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ..	.. कटेहरी
१९९	भगौती सिंह, श्री ..	.. कैसरगंज
२००	भानु प्रताप सिंह, श्री ..	.. भोजपुरा

१	२	३
२०१	भानु प्रताप सिंह, श्री	भनवापुर
२०२	भाभी, श्री	मुबारकपुर
२०३	भारत सिंह चौहान, श्री	औरैया
२०४	भीमा प्रसाद, श्री	आजमगढ़
२०५	मंगल उपाध्याय, श्री	रामकोला
२०६	मदन मोहन मिश्रा, श्री	रायबरेली
२०७	मनफूल सिंह, श्री	जानसठ (अ० जा०)
२०८	मनसाराम, श्री	शिकोहाबाद
२०९	मनोहरलाल, श्री	कानपुर (कैंट)
२१०	मंजूर अहमद, श्री	बिठौर
२११	मलिखानसिंह, श्री	मैनपुरी
२१२	मसाली देवी, श्रीमती	बांसगांव
२१३	महमूद हसन खां, श्री	सम्भल
२१४	महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
२१५	महातम, श्री	श्याम देवखा
२१६	महादेव प्रसाद, श्री	चर्दा (अ० जा०)
२१७	महाबीर सिंह, श्री	चन्दौस
२१८	महाबीर सिंह, श्री	देवबन्द
२१९	महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)	बांदा
२२०	महीलाल, श्री	कुन्दरकी (अ० जा०)
२२१	महेन्द्र सिंह, श्री	खैर
२२२	महेन्द्र सिंह, श्री	हसनपुर
२२३	महेश्वरदत्त सिंह, श्री	बलरामपुर
२२४	माखन लाल, श्री	हैदराबाद
२२५	माता प्रसाद, श्री	शाहगंज (अ० जा०)
२२६	माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री	बांसी
२२७	मानवती देवी, श्रीमती	बीकापुर
२२८	मुन्नीलाल चमार, श्री	करहल (अ० जा०)
२२९	मुमताज मोहम्मद खां, श्री	स्याना
२३०	मुल्तानसिंह, श्री	टूंडला
२३१	मुस्तफा कामिल किदवाई श्री	भसौली
२३२	मुहम्मद नबी, श्री	रुधौली
२३३	मेहरबान सिंह, श्री	ऐकेश्वर

१	२		३
२३४	मैनेजर सिंह, श्री	.. ..	द्वाबा
२३५	मोतीलाल श्री	.. ..	मछली शहर
२३६	मोतीलाल देहलवी श्री	.. ..	बिल्हौर (अ० जा०)
२३७	मोहन लाल, श्री	.. ..	महोबा (अ० जा०)
२३८	मोहन लाल कपूर, श्री	.. ..	मेरठ
२३९	मोहनसिंह, श्री	.. ..	तिलोई
२४०	मोहम्मद असरार अहमद, श्री	.. ..	बिनावर
२४१	मोहम्मद महमूद अली खां, श्री	.. ..	सरसावां
२४२	यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री	.. ..	बरसठी
२४३	यादवेन्द्र दत्त, श्री (उर्फ लल्लन जी)	..	सिसवा
२४४	रघुनाथ सिंह, श्री	.. ..	फतेहपुर सीकरी
२४५	रघुनाथसिंह, श्री	.. ..	सर्वनखेड़ा
२४६	रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री	.. ..	जसराना
२४७	रघुनाथ सिंह, चौधरी	.. ..	खुर्जा
२४८	रघुबीर सिंह यादव, श्री	.. ..	धिरौर
२४९	रणंजय सिंह, राजा	.. ..	अमेठी
२५०	राजनाथ, श्री	.. ..	सादात
२५१	राजपती देवी, श्रीमती	.. ..	गौरीगंज
२५२	राजबहादुर चन्द, श्री	.. ..	खेसरहा
२५३	राजबिहारी सिंह, श्री	.. ..	आरा जी लाइन
२५४	राज मंगल पाँडेय, श्री	.. ..	कुशीनगर
२५५	राजाराम, श्री	.. ..	फिरोजाबाद
२५६	राजितराम, श्री	.. ..	हंडिया
२५७	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	.. ..	बस्ती
२५८	राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री	.. ..	स्वार टांडा
२५९	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर	.. ..	इलाहाबाद (उत्तरी)
२६०	राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	.. ..	सतांव
२६१	राजेश्वर सिंह, श्री	.. ..	फरीदपुर
२६२	राम अवध, श्री	.. ..	जहांगीरगंज (अ० जा०)
२६३	रामकरन, श्री	.. ..	सैदपुर
२६४	रामकरन, श्री	.. ..	सहसनवां
२६५	राम किंकर , श्री	.. ..	पट्टी (अ० जा०)
२६६	राम किशोर शुक्ल, श्री	.. ..	करछना
२६७	राम कुंवर, श्री	.. ..	सगड़ी

१	२	३
२६८—राम कुमार, श्री	.. ..	चौबेपुर
२६९—रामकुमार शास्त्री, श्री	.. ..	बानगंगा
२७०— राम गोपाल संड, श्री	.. ..	इलाहाबाद (दक्षिण)
२७१—रामचन्द्र आजाद, श्री	.. ..	टांडा
२७२—राम चन्द्र विकल, श्री	.. ..	दादरी
२७३—रामचरण, श्री	.. ..	बाह (अ० जा०)
२७४—राम चरण, श्री	.. ..	सिराथू
२७५—राम जियावन , श्री	.. ..	इसौली
२७६—रामजी लाल सहायक, श्री	.. ..	रौहटा (अ० जा०)
२७७—राम दुलारे, श्री	.. ..	बछरावां (अ० जा०)
२७८—राम देव, श्री	.. ..	बीरापुर
२७९—रामधारी, श्री	.. ..	फाजिलनगर
२८०—राम निहोर, श्री	.. ..	भदोही, (अ० जा०)
२८१—राम निहोर राय, श्री	.. ..	मक्षवा (अ० जा०)
२८२—रामपति, श्री	.. ..	धुरियापार (अ० जा०)
२८३—रामपाल त्रिवेदी, श्री	.. ..	महोना
२८४—रामपाल सिंह, श्री	.. ..	बिजनौर
२८५—रामपाल सिंह यादव, चौधरी	.. ..	डेरापुर
२८६—राम पूजन पटेल, श्री	.. ..	कौड़िहार
२८७—राम प्यारे	.. ..	दुद्धी (अ० जा०)
२८८—राम प्यारे शुक्ला, श्री	.. ..	सुल्तानपुर
२८९—राम प्रसाद, श्री	.. ..	रोखा (अ० जा०)
२९०—राम प्रसाद देखमुख, श्री	.. ..	सासनी (अ० जा०)
२९१—राम बचन, श्री	.. ..	फूलपुर
२९२—रामबचन यादव, श्री	.. ..	रानी की सराय
२९३—राममूर्ति 'अंचल', श्री	.. ..	ददरौली
२९४—राम रतन, श्री	.. ..	रसड़ा (अ० जा०)
२९५—राम रतन पांडेय, श्री	.. ..	उमर्दा
२९६—राम लखन, श्री	.. ..	चकिया (अ० जा०)
२९७—राम लखन दूबे, श्री	.. ..	लक्ष्मीपुर
२९८—राम लखन शुक्ल, श्री	.. ..	कौड़ीराम
२९९—रामलखन सिंह, श्री	.. ..	बहादुरपुर
३००—रामलाल	.. ..	गौरीबाजार
३०१—रामलाल भाई, श्री	.. ..	गोरखपुर

१	२	३
३०२—रामलाल राही, श्री	.. ..	हरगांव, (अ० जा०)
३०३—राम विलास, श्री	.. ..	घोसी
३०४—रामशिरोमणि, श्री	.. ..	गड़वारा
३०५—राम सागर, श्री	.. ..	केराकत (अ० जा०)
३०६—रामसिंह, श्री	.. ..	नागल (अ० जा०)
३०७—राम सिंह खन्ना, श्री	.. ..	बरेली सिटी
३०८—रामसूरत सिंह, श्री	.. ..	गाजीपुर
३०९—रामसेवक, श्री	.. ..	जगदीशपुर (अ० जा०)
३१०—राम स्वरूप वर्मा, श्री	.. ..	राजपुर
३११—राम हरख, श्री	.. ..	महसी
३१२—राव अब्दुर रफी खां, श्री	.. ..	भवन
३१३—रियासत हुसैन, श्री	.. ..	मुरादाबाद (देहात)
३१४—रुपनाथ सिंह यादव, श्री	.. ..	बहादुरपुर
३१५—लक्ष्मण स्वरूप, श्री	.. ..	हापुड़ (अ० जा०)
३१६—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. ..	मांट
३१७—लक्ष्मी शंकर यादव, श्री	.. ..	खुटहन
३१८—लालन शर्मा, श्री	.. ..	मल्लावां
३१९—लाल बहादुर, श्री	.. ..	वाराणसी (कैन्ट)
३२०—लालसा, श्री	.. ..	नत्थूपुर (अ० जा०)
३२१—लालसा प्रसाद, श्री	.. ..	मेंहदावल
३२२—लालू, श्री	.. ..	हरैया (अ० जा०)
३२३—लीलाधर, श्री	.. ..	दयालबाग (अ० जा०)
३२४—वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	.. ..	जमानियां
३२५—वासुदेव, श्री	.. ..	लक्ष्मणपुर
३२६—वासुदेव सिंह, श्री	.. ..	फखरपुर
३२७—विक्रम सिंह, श्री	.. ..	बड़ौत
३२८—विजयपाल सिंह, श्री	.. ..	गैसड़ी
३२९—विजय बहादुर सिंह, श्री	.. ..	मिर्जापुर
३३०—विजय शंकर सिंह, श्री	.. ..	मुहम्मदाबाद
३३१—विद्यावती राठौर, श्रीमती	.. ..	मोहम्मदाबाद
३३२—विशम्भर सिंह यादव, श्री	.. ..	जसवन्तनगर
३३३—विश्रामदास, श्री	.. ..	मेजा (अ० जा०)
३३४—विश्वनाथ कपूर, श्री	.. ..	अयोध्या
३३५—विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	.. ..	सोरांव
३३६—वीर बहादु सिंह, श्री	.. ..	पनियारा

१	२	३
३३७—वीरेन्द्र कुमार, चौधरी	.. ..	मछरेहटा (अ० जा०)
३३८—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	.. ..	खतौली
३३९—वीरेन्द्र स्वरूप, श्री	.. ..	सिकन्दराबाद
३४०—शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री	.. ..	वाराणसी (उत्तरी)
३४१—शकुंतला देवी, श्रीमती	.. ..	हरौड़ा (अ० जा०)
३४२—शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री	.. ..	वाराणसी (दक्षिण)
३४३—शफीक अहमद खां, श्री	.. ..	बहेड़ी
३४४—शमीम आलम, श्री	.. ..	बुलन्दशहर
३४५—शम्भूनाथ चौधरी, श्री	.. ..	बलिया
३४६—शम्भू नारायण सिंह, श्री	.. ..	माया
३४७—शान्ति चरन पिड़ारा, श्री	.. ..	मथुरा
३४८—शान्ति देवी, श्रीमती	.. ..	सहसवान
३४९—शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री	.. ..	हरिद्वार
३५०—शिव कुमार, श्री	.. ..	निगोही
३५१—शिव कुमार, श्री	.. ..	जयसिंहपुर
३५२—शिव कैलाश, श्री	.. ..	सिद्धौर (अ० जा०)
३५३—शिवदास, श्री	.. ..	चुनार
३५४—शिवपाल सिंह, श्री	.. ..	बिछिया
३५५—शिव प्रसाद पांडेय, श्री	.. ..	सलोन
३५६—शिव बचन, श्री	.. ..	सलेमपुर
३५७—शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)	.. ..	चांदपुर
३५८—शिवराजसिंह, श्री	.. ..	बिसौली
३५९—शिवलाल, श्री ..	.. ..	आर्यनगर (अ० जा०)
३६०—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	.. ..	किशनी
३६१—शिवशंकर, श्री	.. ..	कासिमाबाद
३६२—शिव शंकर सिंह, श्री	.. ..	डलमऊ
३६३—शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री	.. ..	कालपी
३६४—शिवानन्द नौटियाल, श्री	.. ..	पौड़ी
३६५—शीतला प्रसाद सिंह, श्री	.. ..	तरबगंज
३६६—शुकरू, श्री ..	.. ..	बेनीगंज (अ० जा०)
३६७—शेर अली खां, श्री	.. ..	मोदीनगर
३६८—शेरसिंह दानू, श्री	.. ..	कर्णप्रयाग
३६९—शेष नारायण शुक्ल, श्री	.. ..	रामनगर

१	२	३
३७०—शीनाथ सिंह, श्री	..	.. नूरपुर
३७१—श्याम किशोर, डाक्टर	..	.. सीतापुर
३७२—श्याम लाल, श्री	..	.. मोहम्मदाबाद
३७३—श्यामलाल रावत, श्री	..	.. सिधौली (अ० जा०)
३७४—श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)	..	.. महमूदाबाद
३७५—श्याम सूरत, श्री	..	.. प्रतापपुर
३७६—श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री	..	.. कल्याणपुर
३७७—श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा	..	.. छानबे
३७८—श्रीराम सिंह, श्री	..	.. कटरा बाजार
३७९—श्रीशचन्द्र, श्री	..	.. बाबन
३८०—सईद मुर्तजा, श्री	..	.. मुजफ्फरनगर
३८१—सच्चिदानन्द, श्री	..	.. लखनऊ (कैन्टूनमेन्ट)
३८२—सजीवन लाल, श्री	..	.. हसनगंज
३८३—सतीश चन्द्र, श्री	..	.. अलीगंज
३८४—सत्तार अहमद, श्री	..	.. धामपुर
३८५—सन्तराम, श्री	..	.. तुलसीपुर (अ० जा०)
३८६—सन्तू, श्री	..	.. हैंसर बाजार (अ० जा०)
३८७—सरदार सिंह, श्री	..	.. मुजफ्फराबाद
३८८—सरस्वती देवी, श्रीमती	..	.. बागेश्वर (प्र० जा०)
३८९—सर्वसुख सिंह, श्री	..	.. बारा
३९०—सिया दुलारी, श्रीमती	..	.. मानिकपुर (अ० जा०)
३९१—सियाराम, श्री	..	.. सोरों (अ० जा०)
३९२—सियाराम गंगवार, डाक्टर	..	.. कायमगंज
३९३—सीताराम, डाक्टर	..	.. रुद्रपुर (अ० जा०)
३९४—सुखबीर, श्री	..	.. लकसर
३९५—सुखपाल पांडेय, श्री	..	.. बिक्रमजोत
३९६—सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	..	.. बबीना
३९७—सुरेन्द्र विक्रम, श्री	..	.. तिलहर
३९८—सूबेदार प्रसाद, श्री	..	.. राबर्ट्सगंज (अ० जा०)
३९९—सूबेदार सिंह, श्री	..	.. भोगांव
४००—सूरजलाल, श्री	..	.. उतरौला
४०१—सूर्यनाथ, श्री	..	.. रारी
४०२—सेवाराम, श्री	..	.. मोहमदी (प्र० जा०)

१	२			३
४०३	सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब	..	..	रामपुर
४०४	सोहन लाल घुसिया, श्री	..	..	साऊघाट (अ० जा०)
४०५	सौभाग्यवती, श्रीमती	..	..	अमरोहा
४०६	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	..	..	राठ
४०७	हंसा, श्री	..	..	महराजगंज (अ० जा०)
४०८	हबीब अहमद, श्री	..	..	इलाहाबाद (पश्चिमी)
४०९	हबीबुर्रहमान, श्री	..	..	मऊ
४१०	हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती		..	हैदरगढ़
४११	हरनरायन, श्री	..	..	पुरनपुर
४१२	हरबंश प्रसाद, श्री	..	..	नरैनी
४१३	हरिनाथ तिवारी, श्री	..	..	मिलकीपुर
४१४	हरिप्रसाद शाही, डाक्टर		..	पिपराइच
४१५	हरिवंश, श्री	..	..	भाटपाररानी
४१६	हरिहर बख्श सिंह, राजा	..	..	शाहाबाद
४१७	हरीदत्त काण्डपाल, श्री	..	..	द्वाराहाट
४१८	हरीसिंह, श्री	..	..	अल्मोड़ा
४१९	हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री	..	..	मुरादाबाद (नगर)
४२०	हिम्मतसिंह, श्री	..	..	डिबाई
४२१	हुक्मसिंह, श्री	..	..	आगरा (पश्चिमी)
४२२	हुक्मसिंह, श्री	..	..	फतेहाबाद
४२३	होतीलाल अग्रवाल, श्री	..	..	इटावा
४२४	रिक्त	..	..	पुवायां
४२५	रिक्त	..	..	सरोजिनीनगर

सूचना हेतु प्रतिलिपि

न

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०

उपाध्यक्ष

श्री वासुदेव, एम० ए० ।

सचिव, विधान मण्डल

श्री बिशम्भर दयाल माथुर, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव (अधिष्ठान)

श्री कैलास नाथ मेहरोत्रा ।

सहायक सचिव (प्रश्न)

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

समिति अधिकारी

श्री गिरधारी लाल, बी० ए० ।

अधीक्षक

श्री श्रीनाथ दीक्षित, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री उमाशंकर, बी० ए०,

श्री हरिनन्दन शरण भटनागर, एम० ए०, बी० काम, एल-एल० बी०, डिप्लोमा इन पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन ऐण्ड प्रोसीजर ।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बज दिन में कार्यकारी अध्यक्ष, श्री ए० सी० ग्राइस की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४१८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुरहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री

केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल, सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण, श्री
दुर्जन, श्री
दुसारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विमल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथसिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाशनारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवन, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला बेवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदनमोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर, अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, (श्री जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मालवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफाकामिल, किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल बेहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन, श्री)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी, श्री

रघुवीरसिंह, यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राम, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)

राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासतहुसेन, श्री
रूपनाथसिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर, सिंह श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री

शंकरप्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिवलक्ष सिंह, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह बानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शोनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—खाद्य मंत्री, श्री मंगलाप्रसाद भी उपस्थित थे ।

अध्यक्ष पद पर कार्य करने हेतु श्री ए०सी० ग्राइस, सदस्य विधान सभा की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति

सचिव, विधान सभा—

माननीय सदस्यगण, आपको ज्ञात ही है कि इस समय माननीय अध्यक्ष तथा माननीय उपाध्यक्ष दोनों ही पद रिक्त हैं अतः महामान्य राज्यपाल महोदय ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद १८०, खंड (१) के द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री ए० सी० ग्राइस को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो राज्यपाल महोदय का आदेश प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है:—

> "उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और उसके अध्यक्ष का पद भी उक्त सभा के दिनांक १७ मार्च, १९६९ के उपवेशन के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व रिक्त हो जायगा।"

अतः "भारत का संविधान" के अनुच्छेद १८० के खंड (१) द्वारा मुझे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री ए० सी० ग्राइस, विधान सभा के नामांकित सदस्य, कानपुर को उक्त उपवेशन के प्रारम्भ से उस समय तक के लिये जब तक कि संविधान के अनुच्छेद १७८ के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाय, अध्यक्ष पद का कार्य करने के लिये नियुक्त करता हूं।"

शपथ न लेने वाले सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष का निर्देश

कार्यकारी अध्यक्ष—

शुरू करने से पूर्व मुझे यह इत्तिला करनी है कि अगर किसी माननीय सदस्य ने शपथ नहीं ली है तो वे मेहरबानी करके सदन को छोड़ दें और अगर वे बिना शपथ लिये हुये हाउस में बैठे रहेंगे तो नियम १९३ के अधीन उन पर ५ सौ रुपये की दिन फाइन होगा। लिहाजा कोई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना ओथ नहीं लिया हो तो वे मेहरबानी करके हाउस छोड़ दें।

सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन

कार्यकारी अध्यक्ष—

दूसरा कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके लिये हमारे सामने केवल एक ही नाम पेश हुआ है और वह प्रपोजल है श्री चन्द्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री चतुर्भुज शर्मा का और उसका समर्थन किया है श्री कमलापति त्रिपाठी ने, दो प्रस्तावों का, एक का श्री लक्ष्मी रमण आचार्य और एक का श्री हरवंश प्रसाद ने। चूंकि एक ही नाम है तो अब उसमें चुनाव की बात हो ही नहीं सकती। इसलिये मैं श्री ए० जी० खेर को अनअपोज्ड निर्वाचित डिक्लेयर करता हूं।

इसके पूर्व कि मैं खेर साहब को यहां पर लाये जाने के लिये प्रार्थना करूं मैं उन्हें निर्वाचित होने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि ए० जी० खेर साहब अनअपोज्ड निर्वाचित हुये हैं। यह बड़ी अच्छी चीज हुई है जो हमारे सामने आज आयी है। सन् १९५२ से हम खेर साहब को जानते हैं। वे हमारे लिये नये नहीं हैं। उनका बर्ताव सब के साथ ऐसा अच्छा है जिसे आप सब खुद अच्छी तरह जानते हैं। वे खाली सामने सामने वालों को नहीं देखते बल्कि पीछे की बेंच वालों पर भी उनकी निगाह चली जाती है। मैं पीछे बैठा करता था लेकिन खेर साहब हर समय मेरा खयाल किया करते थे। मैं आशा करता हूं और अपनी तरफ से और सदन की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनको हेल्थ, स्ट्रेंथ

ऐण्ड विज्डम दे और वे इस कुर्सी पर पूरे समय तक इज्जत अफजा रहें। मैं अब माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से, प्रार्थना करूंगा कि वे खेर साहब को लाकर कुर्सी पर बिठा दें।

(नेता सदन और नेता विरोधी दल द्वारा श्री आत्माराम गोविन्द खेर को अध्यक्ष पीठ तक लाया गया और वे पीठासीन हुये ।)

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री आत्माराम गोविन्द खेर को बधाई

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, यह हम सब के लिये प्रसन्नता की बात है कि इस सदन ने आज आपको निर्विरोध चुना। ऐसा करके इसने ऐसी प्रथा को प्रारम्भ किया जो प्रथा गणतन्त्र में होनी चाहिये और जो प्रथा ऐसे देशों में प्रचलित है जहां पर गणतन्त्रीय संस्थायें स्थापित हैं। पूर्व इसके कि मैं आपको इस आसन को ग्रहण करने के लिये बधाई दूं, सदन के सब साथियों को और खासकर विरोधी पक्ष के सब साथियों और नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे कार्य में पूरी मात्रा में सहयोग प्रदान किया जो कार्य इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है और जिसके द्वारा गणतन्त्र की परम्परायें हमारे जन-जीवन में जगह करने वाली हैं। मैं आपको इस अवसर पर इस कारण से बधाई देता हूं कि आपकी ढलती उमर के रहते हुये भी सदन के साथियों ने आपके ऊपर विश्वास प्रकट किया और इस भार को आपके कन्धों पर डाला।

आप वर्षों से इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में कार्य करते रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आपने कार्य किया है। चाहे वह जिला बोर्ड के अध्यक्ष का पद रहा हो, चाहे वह लेजिस्लेचर की सदस्यता का पद रहा हो, चाहे वह मंत्री का पद रहा हो और चाहे वह इस सदन के अध्यक्ष का पद रहा हो, हर जगह जहां-जहां भी आपने कार्य किया है आपने उन गुणों का परिचय दिया है जिन गुणों के द्वारा सार्वजनिक जीवन का स्तर ऊंचा होता है और जो सार्वजनिक जीवन आगे आने वाली पीढ़ियों के लियें कुछ परम्परायें छोड़कर जाता है। मैं उन कार्य-कालों के सम्बन्ध में इस समय चर्चा नहीं करूंगा जिन कार्य-कालों को आपने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा करते हुये व्यतीत किया है। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके सम्पर्क में आया है उसने आपसे वह व्यवहार पाया है जो व्यवहार आप जैसे सार्वजनिक कार्यकर्ता और नेता में होना चाहिये। जब-जब आप यहां अध्यक्ष के पद को सुशोभित करते रहे हैं आपने निष्पक्ष होकर इस सदन के कार्य को चलाया है और चाहे कोई कांग्रेस का सदस्य हो, विरोधी पक्ष का हो सब के दृष्टिकोणों को प्रकट करने का आपने अवसर प्रदान किया है और स्वतः जो आपने निर्णय लिये विचार करके, उन्हें दृढ़तापूर्वक इस सदन में सदा रखने का प्रयास किया है। आपके अध्यक्ष पद का कार्य-काल इस सदन के इतिहास में गौरवमय रहा है और उन सारी सेवाओं का द्योतक रहा है जो आपने प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में की हैं।

आप जब इस सदन के सदस्य भी नहीं रहे, यद्यपि स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा तो भी आपने सार्वजनिक जीवन से हटने की नहीं सोची, परन्तु मानव सेवा में आप बराबर जुटे रहे। भारत सेवक समाज के द्वारा जो पीड़ित थे, परेशान थे, दुखी थे, आपने उस संस्था के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र के निवासियों की सेवा की है, यह भी सदा स्मरणीय रहेगी। मुझे विश्वास है कि आपका यह कार्य-काल भी, जब आप यहां अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए अपने कार्य का संपादन करेंगे, ऐसा कार्यकाल रहेगा जिसमें सदैव भविष्य में इस सदन के बनने वाले सदस्य आपकी स्किलिंग्स और कार्य-क्षमता और कार्य-कुशलता को याद रखेंगे और आपके पद-चिह्नों पर चलने की चेष्टा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त—]

मैं आपको बधाई देता हूं फिर से इस सदन के आप पर विश्वास के लिये और इस बात के लिये भी कि आपने रजामन्दी दे दी कि आप जब से इस पद को सुशोभित करेंगे तो हमारे दल के सदस्य नहीं रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विरोधी दल के नेताओं ने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो दूसरा पद डिप्टी स्पीकर का यहां है और जिसके लिये चुनाव होगा, और जिसके लिये हमने रजामन्दी दी है कि वह विरोधी पक्ष से आये, वह एक मत से उनके द्वारा मनोनीत किया जायगा और वह यह भी घोषणा करेंगे कि वह भी अपने दल से त्याग करेगा और ऐसा करके सारे देश के लिये एक ऐसा नमूना पेश करेगा जिससे कि जहां-जहां गणतंत्र की परम्पराओं के अनुसार हमारे देश में कार्य हो रहा है उन सारे प्रदेशों की विधान सभाओं के जो सदस्यगण हैं वे उन पद्धतियों का अनुसरण करें जिसका हमने प्रारम्भ किया है और जोकि गणतंत्र को मजबूती प्रदान करती हैं।

मैं फिर से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए इस आसन पर बैठने के लिये आपका स्वागत करता हूं।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ माननीय नेता सदन श्री चन्द्रभानु गुप्त ने इस अवसर पर फरमाया है उससे पूर्णतया मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और मैं अपनी तरफ से और इधर बैठने वाले जितने साथी हैं उन सब की ओर से भी जहां आपको बधाई देता हूं वहां साथ ही आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने अध्यक्ष पद के भार को वहन करना स्वीकार किया क्योंकि जहां यह आपके लिये एक बोझ है वहां हमारे लिये एक गर्व की वस्तु है।

जहां मैंने माननीय खेर साहब को बधाई भी दी और धन्यवाद भी दिया वहां उसके साथ ही मैं माननीय गुप्ता जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विरोधी पक्ष के इस सुझाव को मानने की कृपा की कि जहां हमने उनके द्वारा पेश किये गये नाम को अध्यक्ष पद के लिये स्वीकार किया, वहां वे हम लोगों द्वारा दिये गये नाम को भी डिप्टी स्पीकर पद के लिये स्वीकार करेंगे और दूसरी बात यह हुई कि भविष्य में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों से अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे। इसके लिये भी मैं फिर उनको बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा, भारतवर्ष के इतिहास में इस प्रकार हम एक नजीर पैदा कर रहे हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिये जहां सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के कार्य करने आदि का ढंग अपना एक विशेष प्रभाव रखता है, वहीं स्पीकर महोदय किस कोटि के हैं, वे किस प्रकार से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, इस सब का भी एक बहुत बड़ा असर होता है। कारपोरेशन्स, नगरपालिकायें और गांव सभाओं पर भी इस हाउस के कार्यों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, हर जनतांत्रिक संस्था पर, चाहे वह कोआपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे स्टुडेंट यूनियन हो, सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप, अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की इजाजत दें, इससे भी ज्यादा प्रभाव आपकी योग्यता, आपकी बुद्धिमता और आपकी निष्पक्षता का पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, आपके दर्जे का आदमी हमें अध्यक्ष की शक्ल में, इस सदन में मिला, इसकी हमें बड़ी खुशी है।

माननीय खेर साहब जी ने जो कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में किये हैं उनका थोड़ा-सा जिक्र मैंने किया है, पूरा जिक्र नहीं किया जा सकता था और न ही आवश्यक था और न ही मैं जरूरी समझता हूं। इतना निर्विवाद है कि आप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में एक उच्च स्थान रखते आये हैं, साथ ही आपको इस पद का तजुर्बा भी है। आपके इस अध्यक्ष पद को सुशोभित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने की वजह से, विरोधी पक्ष के जो सदस्य यहां पर हैं उनके मन में एक इतमीनान होगा कि हमको एक निष्पक्ष अध्यक्ष मिला। वैसे तो मुझको आपसे यह उम्मीद थी और मेरे सभी दोस्तों को कि आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने को राजी न होते तब भी हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है। फिर भी परम्पराएं कायम करने की जरूरत होती है। आप जब इस्तीफा देने जा ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो भी डिप्टी स्पीकर होगा वह भी पार्टी से इस्तीफा देगा तो उसकी कहीं कमी किसी के मनमें रह जाती है, क्योंकि कांगेस पार्टी से सम्बन्ध है खेर साहब का, इस लिये चाहे जितनी भी अच्छी रूलिंग दे दें मगर कहीं छाया रह जाती है कि आप कांग्रेस के मेम्बर हैं। किसी के मन में उस प्रकार की रेखा न रहे। आपको भी इसमें एक प्रकार से मदद होगी कि आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे और हम सबके मन में भी इतमीनान होगा। मैं इन शब्दों के साथ दोबारा आपको बधाई देना चाहता हूं और परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि हमारा सदन यही नहीं कि आप अच्छे स्टैन्डर्ड्स कायम करेंगे बल्कि आपकी अध्यक्षता में हमारा यह सदन हिन्दुस्तान की दूसरी विधान सभाओं के लिये एक उदाहरण पेश करेगा।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस पद के लिये हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे हमारे माननीय नेता सदन ने जो अपने विचार व्यक्त किये तथा जो नेता विरोधी दल ने अपने विचार व्यक्त किये उससे मैं अपने को और अपने दल को पूर्णरूपेण सम्बद्ध करता हूं। मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं दिखाई देती परन्तु एक बात तो मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय था जिसने अपनी छाप सारे देश के लोकतन्त्र से प्रेम रखने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में डाली थी कि स्पीकर का चुनाव किस प्रकार होना चाहिये। परिणाम-स्वरूप हमारी स्पीकर्स की कान्फ्रेंस हुई और उसके जो निर्णय थे वे हमारे मस्तिष्क में गूंजते थे। हम उसके लिये उत्सुक थे कि हम ऐसा व्यक्ति पायें जिसमें हमारा विश्वास हो, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि उस पद की गरिमा, उस पद की महिमा, उस पद का गौरव रखने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो जितनी शर्तें हैं उनको पूरा करे। मुझे इस बात का गर्व है कि जो भी मैंने आपके बारे में सुना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं रहा, उसको देखते हुये मैंने ऐसा ही व्यक्ति पाया। यही इच्छा थी कि देश में ऐसा व्यक्ति निर्विरोध चुना जाय। अब हम ऐसा समझते हैं कि आपकी कुशलता, आपकी योग्यता, आपका अनुभव, आपकी निष्पक्षता, यहां की प्रणाली को प्रबल बनाने के लिये सहायक होगी और आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे।

मैं इतना ही कहता हूं कि उस कुर्सी पर रहने वाले व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी है कि वह प्रजातन्त्र प्रणाली की पूरी रक्षा करे। एक तरफ सरकार बैठती है और दूसरी तरफ विरोधी पक्ष बैठता है। विरोधी पक्ष अपने हितों और अपने विचार को अग्रसारित करने के लिये आपकी ओर मुंह उठाता है, आपकी ओर देखता है और वह न्याय हित ही ऐसी आशा कर लेता है और वह भी न्यायसंगत रहता है क्योंकि उसमें आपका विवेक और आपका डिस्क्रीशन रहता है। असंगतियों और असंतुलितियों को संगत और संतुलित करने के कारण ही आपका पद महान है। मुझे आशा है कि आप हमारे उस विश्वास को स्थायी ही नहीं रखेंगे अपितु ऊपर उठाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इन शब्दों के साथ पुनः आपको बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमारा यह सदन चल रहा है उनमें, उनकी कृपा से, सारी पार्टियों के हितों की रक्षा और जनतंत्र प्रणाली के हितों की रक्षा आपके हाथों हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के अध्यक्ष चुने गये इसलिये हम आपको बधाई देते हैं। आपको इसलिये और भी ज्यादा बधाई है कि आपके चुनने के साथ प्रदेश के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। जैसा कि माननीय नेता सदन ने और माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवा ल—]

नेता विरोधी दल ने अपने बयानों में बताया कि किस तरह से यह निर्विरोध चुनाव अमल में आया। ये दोनों सज्जन भी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, यह सभी लोग जानते हैं कि आप इस सदन की गरिमा के प्रतीक हैं। आपके निर्णय के आगे हम सभी लोग नतमस्तक होते हैं और इसलिये कि हमको हर वक्त यह आशा रहती है कि आप निष्पक्ष रूप से इस सदन की कार्यवाही को चलायेंगे। मान्यवर, कहा जाता है कि खाली न्याय देना ही काफी नहीं है बल्कि लोगों को लगे कि उनको न्याय दिया जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हम लोगों पर ऐसी छाप डालेंगे, जिसमें सचमुच लोगों को यह महसूस होगा कि उनको न्याय मिल रहा है।

इसी के साथ-साथ मैं एक निवेदन और करूंगा कि कभी-कभी इस सदन में वक्ती जजबात के तहत पक्ष और विपक्ष में गर्मागर्मी हो जाया करती है। लेकिन वह क्षणिक होती है और अपनी अपनी समझ के मुताबिक सार्वजनिक हित के उजागर करने के लिये सदस्य लोग ऐसा कर दिया करते हैं। अगर ऐसी कभी नौबत आयेगी तो मुझे विश्वास है कि आप अपनी उदारता से, उसका निस्तारण कुछ ऐसे ढंग से कर देंगे कि कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस सदन की गरिमा को बढ़ायेंगे और मेरी कामना है और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि यह सदन आपकी अध्यक्षता में ऐसी मिसाल कायम करे जिसकी नकल अन्य प्रदेशों की विधान सभायें भी करें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूं इसलिये कि जिस नये वातावरण में और जिस रुप से आप का सर्वसम्मत निर्वाचन हुआ है वह बड़े संतोष का विषय है। आप के विषय में मुझे पूरे तौर से निजी जानकारी है क्योंकि आप यहां पहले अध्यक्ष रह चुके है और मुझे पूर्ण आशा है कि अपने पूर्व के कार्यकाल की भांति अपने भावी कार्यकाल में भी आप अपने निष्पक्ष और दृढ़ विचारों के साथ जिस तरह से सदन में रहे हैं आगे भी रहेंगे। चूंकि आप जाने माने और बहुत ही अनुभवी अध्यक्ष हैं और ऐसे समय में जब आप हमें मिले हैं तो यह हमारा और सदन का सौभाग्य है और इस प्रदेश की जनता का सौभाग्य है। मैं एक बार फिर आपको इस सर्वसम्मत निर्वाचन पर चुंकि आपको पक्ष और विपक्ष ने एक मत से चुना है, पुनः बधाई देता हूं।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जनसंघ के नेता अभी बोल चुके हैं, एक ही दल के दो-दो सदस्यों के बोलने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप को इस देश की सब से बड़ी राज्य विधायिका के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मत से चुने जाने के लिये बधाई पेश करता हूं। मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल को भी इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिये बल्कि सारे देश की विधायिकाओं के लिये एक स्वस्थ उदाहरण उपस्थित किया है। यह जो दो संजोते हुये हैं, पहला यह कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध हो तथा दूसरा यह कि उनके निर्वाचन होने के साथ-साथ वे अपने-अपने दलों से सम्बन्ध विच्छेद कर लें। मैं समझता हूं कि यह सदन के शुभारम्भ का एक लक्षण है। मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसे समय में जबकि देश में जनतन्त्र की नौका डगमगा रही है उस समय आप इस पद पर आसीन हुये हैं और आप संसदीय जनतन्त्र की उच्चतम मान्यताओं को सुरक्षित करने में कोई कोरकसर नहीं उठा रखेंगे। अन्त में मैं अपनी और अपने दल की ओर से फिर आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने कार्यकाल में सदन की गरिमा को बढ़ाने में सदा ही प्रयत्नशील रहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्वाचन पर आपको अपनी और अपने दल की तरफ से बधाई पेश करता हूं। आपके निर्वाचन के साथ हमारे सदन में एक स्वस्थ परम्परा का प्रारम्भ हुआ है और इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और विरोधी पक्ष के नेता श्री चरणसिंह को भी बधाई देता हूं। हम आप जानते हैं कि हमारे सदन में विरोधी पक्ष एक ही नीति को लेकर नहीं आये हैं बल्कि भिन्न-भिन्न विरोधी दल विरोध पक्ष में हैं जो अपने-अपने मत व्यक्त करते हैं। आप की अध्यक्षता में जब सदन में बहसें होंगी और भिन्न-भिन्न विचार यहां आयेंगे अनेक दलों की तरफ से तो उन को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त करने का अवसर देंगे, ऐसी हम आप से आशा करते हैं। अन्त में मैं एक बार फिर अपने दल की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं।

*श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं आपका इस निर्विरोध निर्वाचन पर अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज इस प्रदेश में जिस आसन को आपने सुशोभित किया है और जहां हम विरोधी दलों के लोग अपनी-अपनी विचारधारा को लेकर इस सदन में आये हुये हैं और जरूरत होने पर कभी-कभी ऐसा सम्भव हो सकता है कि सरकारी पक्ष से कुछ सवालों को लेकर कभी-कभी कुछ ऐसी बातें पैदा हो जायंगी जिनको आप अपने विचार से और अपने स्वभाव से ऐसा अवसर देंगे जिससे कि हम सभी लोग उस अवसर से लाभ उठा कर आपके इस हाउस की रिमा को कायम रखने में आपके साथ जुटे रहेंगे। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष जी, आपके सर्वसम्मत निर्वाचन पर मैं निर्दलीय विधायकों की ओर से आपको बधाई देता हूं। आप ऐसा एक निष्पक्ष व्यक्ति आसानी से सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष को प्राप्त हुआ जिसके कारण निर्विरोध चुनाव संभव हो सका। मैं नेता सदन तथा नेता विरोधी दल को बधाई देता हूं जिन्होंने एक स्वस्थ परम्परा उत्तर प्रदेश में स्थापित की है। ये हमारे दोनों नेता इसलिये भी बधाई के पात्र हैं कि आज अध्यक्ष का ही नहीं उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन निर्विरोध करने का संकल्प लिया है। यह स्वस्थ परम्परा उत्तर प्रदेश में सन् ५७ में ही स्थापित की गयी थी और विरोधी पक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। किन्हीं कारणों से उस स्वस्थ परम्परा को भंग कर दिया गया था। मुझे आज खुशी है कि उस स्वस्थ परम्परा को आज फिर पुनर्जीवित हम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा की कार्यवाही सुचारुरूप से संचालित होगी। मैंने दर्शक दीर्घाओं में बैठ कर आपकी कार्यपटुता तथा आपकी निष्पक्षता का अवलोकन आपके अध्यक्षता काल में किया है। हम लोग जब सन् ६२ से ६७ तक इस सदन में कार्य करते रहे तो आपके निर्णयों की तरफ हम तत्कालीन अध्यक्ष महोदयों का ध्यान आकर्षित करते रहते थे। आज आप साक्षात रूप से उस उच्च आसन पर विराजमान हैं। मुझे विश्वास है कि सम्मान एवं मर्यादा के साथ इस सदन की कार्यवाही चलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी निर्दलीय साथियों की ओर से बधाई देता हूं जिनकी तरफ उत्तर प्रदेश का ही नहीं आज सारे भारतवर्ष का ध्यान आकृष्ट है। आज निर्दलीय विधायकों के ऊपर ही इस प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, अन्य दलों के नेता तथा मध्यवर्ती चुनाव में आये हुये सदस्यगण ! जिन शब्दों में मेरे निर्वाचन पर सदन के अनेक पार्टियों के नेताओं ने अपनी-अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, अपना प्रेम और विश्वास मुझे दिया है उसके लिये मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं जब दोनों तरफ देखता हूं तो कभी-कभी मुझे पुराने जमाने की याद आ जाती है। किस को कहें नेता विरोधी दल हैं, किसको कहें सरकारी दल है, सभी तो मुझे उसी तरह के व्यक्ति देखाई दे रहे हैं जो हमेशा देश कार्य में रत रहे हैं और देश कार्य करने के ही सब तरह के प्रयत्न उनके जारी रहे हैं।

जहां तक मेरे बारे में आपने आकांक्षायें प्रकट की हैं उसमें सब से प्रथम तो यह बात है कि अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिये, जो फैसला वह करें वह निष्पक्षता से करें। सब से महत्व की बात यही है क्योंकि इसी के ऊपर मैं समझता हूं कि यह निर्भर करता है कि अध्यक्ष का जो निर्णय हो वह सर्वमान्य हो और होना चाहिये। अनुशासन और अध्यक्ष का अधिकार कायम रहना इस सदन में इसी पर निर्भर होता है। मैं तो यही समझता हूं कि अनुशासन निष्पक्षता के आधार पर ही कायम रह सकता है। इसलिये मैं उस सब से बड़ा महत्व देता हूं और मैं आपको इसलिये बधाई देता हूं, खासतौर पर इस सदन के सभी सदस्यों को कि उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया कि अध्यक्ष बिल्कुल निष्पक्ष रह सके। इसलिये आपने यह सुझाव दिया कि अध्यक्ष को अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिये जिससे कि किसी के हृदय में उसके निर्णय के बारे में यह शंका पैदा न हो कि चूंकि अमुक पार्टी का है इसलिये ऐसा निर्णय दिया। लोग अध्यक्ष के निर्णय को इस तरह से स्वीकार करें कि उसने जो उचित समझा और जो उसके अन्तःकरण ने गवाही दी और जो न्यायसंगत था और जो परम्परागत निर्णय हुये हैं उनके अनुसार निर्णय हुआ है। इसके लिये पुराने जमाने में भी जब मैं अध्यक्ष था तो कभी-कभी निर्णय देने के बाद मैं सदस्यों की तरफ देखता था और यह जानने की कोशिश करता था कि किसी सदस्य के दिल में कोई इस तरह की आशंका उठी तो नहीं। मुझे कभी कभी लगा कि कुछ सदस्य मेरे निर्णय पर अशान्तुष्ट हो गये और मुझे दिल में और चोट भी लगी। सन् ६२ से ही मैं इसीलिये प्रयत्न करता रहा हूं कि सर्वसम्मति से ऐसी परम्परा यहां पर कायम हो, सभी दलों की ऐसी विचारधारा बने जिस में सदन के जो अध्यक्ष चुने जायं वह फौरन ही चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें। अब वह परम्परा कायम करने के लिये आपने जो निर्णय किया है उसके लिये मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। नेता सदन को तो देता ही हूं, विरोधी दल के नेता को भी देता हूं, लेकिन इस तरह का वातावरण पैदा करने के लिये तो सभी जिम्मेदार हैं। सभी लोग चाहते थे कि इस तरह की परम्परा कायम हो और यह परम्परा न कायम होने के कारण ही मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि कुछ परम्परा सी पड़ गयी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीन चुनावों में बराबर हारते ही चले आये हैं। अगर यह स्वस्थ परम्परा पहले पड़ गयी होती कि उन्होंने अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया होता तो जो परम्परा इंगलैंड में पड़ी हुई है कि अध्यक्ष का मुकाबला चुनाव में कोई पार्टी नहीं करती है बल्कि सभी दल वाले अध्यक्ष की मदद करके उसको जिताने का प्रयत्न करते हैं वह यहां कायम हो जाती। अब तक इंग्लैन्ड के इतिहास में मुझे याद नहीं है कि कोई भी अध्यक्ष हारा हो, वैसी ही परम्परा यहां भी पड़ जाती। इसलिये मैं ऐसे १९६२ में हार गया और मेरे बाद जो अध्यक्ष आये उनको भी उससे ठेस पहुंची और मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के लिये भी यह ठेस की बात हुई। यह कोई अच्छी बात नहीं लगती कि जो अध्यक्ष आपके लिये निष्पक्ष निर्णय देता रहे उसको जनता यह समझे कि यह तो फलां पार्टी का है, उसकी अमुक पार्टी का प्रोग्राम है इसलिये उसको हरा दो, या यह कहें कि इसने अपने क्षेत्र को नर्स नहीं किया जैसा कि अन्य सदस्य कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपने यह परम्परा कायम करके और मुझे यह सुझाव देकर तथा सदन को सुझाव देकर ऐसा कार्य किया है जो जनतंत्र की नींव को मजबूत बनायेगा। मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि मैंने अभी से अपनी पार्टी से, यह समझ लीजिये कि इस्तीफा दे दिया और मैं उससे अलग हो गया।

आप एक कदम और आगे बढ़ गये हैं कि आपने उपाध्यक्ष के लिये भी यही निर्णय लागू किया क्योंकि वह भी करीब आधे समय ही नहीं बल्कि और जो सिलेक्ट

कमेटियां होती हैं उनमें अधिकतर बैठते हैं, उनके संबंध में भी माननीय सदस्यों को विश्वास होना चाहिये कि जो वे निर्णय करते हैं, फैसले करते हैं, वे निष्पक्ष होकर करते हैं इसलिये उनके लिये भी आपने कह दिया कि उपाध्यक्ष भी इसी का अनुकरण करें और अपनी पार्टी को छोड़े ।

अब मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं क्योंकि मैं ६–७ साल बाहर रहा हूं । बाहर रह कर कार्य करने का जो अनुभव रहता है वह सदन में नहीं होता है क्योंकि सदन की गर्मा गर्मी और जद्दोजहद में बहुत सी बातें लोग भूल जाते हैं । इन सालों में मैंने जो अनुभव किया है, उसका एक अनुभव कहना चाहता हूं । चाहे पार्टी की आपस की लड़ाई हो, चाहे दलबन्दी हो, चाहे विरोधी दल वाली और सरकारी पक्ष की दलबन्दी इस चरम सीमा तक पहुंच जाय कि एक दूसरे के दुश्मन हों, सदन के वाद-विवाद और गर्मागर्मी को उन्हें भूल जाना चाहिये । लेकिन उसके न भुलाने से सदन के बाहर यह परिणाम रहा कि आपकी जो एक्जीक्यूटिव है, जो सरकारी नौकर लोग हैं, उनके ऊपर लगाम कस रही और साथ ही साथ भ्रष्टाचार कुछ बढ़ता सा दिखाई दिया । हर क्षेत्र में घूमने का मुझ मौका मिला और लोग अपने दिलों के खुले उद्गार मेरे सामने कहते थे क्योंकि वे यह जानते थे कि यह किसी पार्टी का आदमी नहीं है, रचनात्मक कार्य करने वाला है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारा और आपका ध्यान इस ओर रहना चाहिये कि अपने प्रान्त में इस तरह की जो ढील आपकी एक्जीक्यूटिव में आ गई है, उसको दूर करें और प्रदेश की सेवा करने के लिये दोनों तरफ के लोग प्रयत्न करते रहें । जो सच्ची बात सदन के सामने आयेगी, उसके लिये क्योंकि वह बात किसी दल के आदमी ने कही है, उसको न माना जाय, ऐसी बात न हो बल्कि उसकी पूरी तरह से जांच होकर उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये ।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सदन में कुछ बहुत से छोटे छोटे दल भी हैं, कहीं एक व्यक्ति का दल, कहीं ३–४ व्यक्तियों का दल है । मैंने जैसा पहले भी कहा था कि अध्यक्ष का यह भी कर्त्तव्य होता है कि अल्पसंख्यक लोगों की जो आकांक्षायें होती हैं, जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उनमें किसी किस्म की अड़चन न पड़े और उनको विचार व्यक्त करने का पूरा मौका मिलना चाहिये । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक यह न समझें कि वे थोड़े हैं, इसलिये वे अपने विचार नहीं रख सकते है, उनकी रक्षा करना तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करना अध्यक्ष का काम है और मैं उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा, यह मैं उनको आश्वासन देता हूं । इसके बारे में जब आप लोगों के इतने अच्छे विचार हैं तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों के सहयोग से सदन में शान्ति के साथ विचार विनिमय होगा और गर्मा गर्मी कम होगी, थोड़ी बहुत तो होगी, यह मैं जानता हूं लेकिन ज्यादा न होकर सब स्पष्ट रूप से और ऐसे शब्दों में विचार प्रकट करने का प्रयत्न करें जिसमें सदन में गर्मागर्मी न हो और मुझे सहायक हो । आखिर में, मैं भी बूढ़ा होता चला जा रहा हूं, और बुढ़ापे में आदमी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है । मैं भी आपसे माफी चाहता हूं, यदि आप मुझ में कभी कोई ऐसी त्रुटि देखें तो आप उसको क्षमा करेंगे । लेकिन चूंकि इतने साल का सम्बन्ध आपके साथ रहा है इसलिये शायद ही कभी ऐसा मौका एक आध दफा मिले जब कि मैं कुछ चिड़चिड़ापन आपको दिखाऊं । मैं आशा करता हूं कि आपके सहयोग से इतना जरूर होगा कि इस सदन में हमेशा पूर्ण गम्भीरता के साथ विचार प्रकट करने का वातावरण बना रहेगा । इसका मैं प्रयत्न करूंगा जिससे ठंडे वातावरण में जो भी प्रश्न आयें उनको हल करने का अवसर मिल सके ।

मैं फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं, आपके सहयोग पर ही मेरी कामयाबी निर्भर है ।

अब हम उठते हैं और अब राज्य पाल का संबोधन तीन बजे होगा । इसलिये माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वह पौने तीन बजे सदन के अन्दर आ जायं और बैठ जायं ।

(इस समय ११ बज कर ५२ मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और ४ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

अनुपूरक आय-व्ययक की प्रतियां प्रस्तुतीकरण से पूर्व सदन में रखने पर आपत्ति

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि जैसा कि विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, अभी यह विधिवत् प्रस्तुत तो हुआ नहीं और यह बजट की प्रतियां हम लोगों को मिल गईं ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो राज्यपाल जी ने पढ़ दिया था इसलिये एडवान्स में इसको यहां पहले से रख दिया जाता है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं श्रीमन्, बजट के बारे में कह रहा हूं, यह मुझे अभी यहां मिला है और इसमें लिखा है कि "जैसा कि सदन में प्रस्तुत किया गया" तो इसी भ्रम निवारण के लिये मैंने यह कहा था ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आप बजट के लिये कह रहे हैं, तो वह तो अब पेश होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात रही कि क्या यह पेश होने से पहले मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

वह रख दिया है अभी पेश नहीं हुआ है । तत्काल पेश होगा, इस कारण रख दिया गया ।

अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

अब महामान्य राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के समक्ष दिये गये सम्बोधन को संक्षेप में पढ़ते हुये मैं पहले पैराग्राफ को पढ़े देता हूं और कुछ अन्त के भाग को पढ़ दूंगा ।

"इस महान प्रदेश के राज्यपाल होने के बाद और राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर आज . . . इस दिशा में नेतृत्व प्रदान करेंगे । जयहिन्द"

(पूर्ण अभिभाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पष्ठ २२ पर)

भूतपूर्व राज्यपाल, श्री होमी मोदी, भूतपूर्व सदस्य, डाक्टर कैलाशनाथ काटजू, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, सर्वश्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, जगमोहनसिंह नेगी, रऊफ जाफरी, कल्याणचन्द मोहिले, रामस्वरूप गुप्त, देवनारायण भारतीय, देवेन्द्र सिंह मेहरा, शौकत हमीद खां, काजी मुहम्मद सईद हुसैन, कुंवर रुकुम सिंह राठौर, फारूक चिश्ती, खानचन्द गौतम, गनपत सहाय, कन्हैई तथा विधान परिषद् के भूतपूर्व सभापति श्री दरबारी लाल शर्मा, और तामिल नाड के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री कांजीवरम नटराजन अन्नादुराई के निधन पर शोकोद्गार ।

***मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—**

अध्यक्ष महोदय, आज हम राष्ट्रपति शासन के बाद और जो नये चुनाव हुए उनके बाद पहले दिन मिल रहे हैं और कई महीनों के बाद मिल रहे हैं । इस बीच में हमारे बीच से बहुत से हमारे बुजुर्ग साथी जो इस सदन के कभी सदस्य थे और इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य स्थान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भूतपूर्व राज्यपाल श्री होमी मोदी, भूत पूर्व सदस्य, डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, सर्वश्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, जगमोहनसिंह नेगी, रऊफ जाफरी, कल्याणचन्द्र मोहिले, रामस्वरूप गुप्त, देवनारायण भारतीय, देवेन्द्रसिंह मेहरा, शौकत हमीद खां, काजी मुहम्मद सर्बत हुसैन, कुंवर रुकुम सिंह राठौर, फारूक चिश्ती, खान चन्द गौतम, गनपत सहाय, कन्हई तथा विधान परिषद् के भूतपूर्व सभापति, श्री दरबारीलाल शर्मा और तामिल नाड के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कांजीवरम् नटराजन अन्नादुराई के निधन पर शोकोद्गार

रखते थे, हमारे बीच से उठ गये। हमारे बीच से कुछ ऐसे साथी भी उठ गये जिनका राज्यपाल के रूप में इस सदन से सम्बन्ध था। यह हम सब के लिये अपार दुःख की बात है। जो साथी अब संसार में नहीं रहे हैं पहले मैं उनका नाम आपके समक्ष पढ़ूंगा और फिर उसके उपरान्त उनके सम्बन्ध में थोड़ा-थोड़ा परिचय दूंगा और उनके विषय में चर्चा भी करूंगा। उनके नाम हैं सर होमी मोदी, श्री कैलाश नाथ काटजू, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री जगमोहनसिंह नेगी, श्री रऊफ जाफरी, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री रामस्वरूप गुप्त, श्री देवनारायण भारतीय, श्री देवेन्द्रसिंह मेहरा, श्री शौकत हमीद खां, काजी मुहम्मद सर्बत हुसैन, कुंवर रुकुमसिंह राठौर, श्री फारूक चिश्ती, श्री खानचन्द गौतम, श्री गनपत सहाय, और जो हमारे नवनिर्वाचित सदस्य अभी इस चुनाव में चुनकर आये थे श्री कन्हई लाल। जिन व्यक्तियों के नाम मैंने अभी सदन के समक्ष पढ़े हैं उनमें से अधिकांश साथी जो इस सदन में उपस्थित हैं उनसे भली-भांति परिचित थे।

श्री होमी मोदी बम्बई प्रदेश के रहने वाले थे और उस प्रदेश में उद्योग-धन्धों में एक ऊंचा स्थान रखते थे और वहां के सार्वजनिक जीवन में भी उनका एक प्रमुख स्थान था। जब देश स्वतंत्र हुआ था और जब अंग्रेज गये थे तो इस प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हुई थीं परन्तु उनका देहावसान हो गया और उनके देहावसान के बाद सर होमी मोदी हमारे प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुये थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस दूरदर्शिता से कार्य किया तथा राज्यपाल को किस तरह से अपनी सरकार को चलाना चाहिये और मंत्रिपरिषद् से क्या उनके सम्बन्ध रहने चाहिये, इसके विषय में ऐसी परम्परायें रचीं कि जो बाद में राज्यपाल हमारे प्रदेश में आये उन्होंने उनका अनुसरण किया। वे सफल उद्योगपति थे और एक सफल राजनीतिज्ञ भी थे। राज्यपाल के पद से हटकर थोड़े समय के बाद उन्होंने एक दल की स्थापना भी की थी जिसके वे प्रमुख व्यक्ति थे। मेरा तात्पर्य स्वतंत्र पार्टी से है। उसके नेता के रूप में उन्होंने अपने और अपने दल के विचारों को देश के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी। वे हमारे बीच में नहीं रहे, हमें इसका भारी दुःख है।

डाक्टर कैलाशनाथ काटजू हमारे प्रदेश की उन विभूतियों में से रहे जो विधि के पंडित थे, जो प्रदेश के एक बड़े वकील थे। परन्तु बड़े वकील के रूप में नहीं, वे देश के ऐसे व्यक्तियों के रूप में थे जिन्होंने देश के लिये और समाज के उत्थान के लिये त्याग किया और बलिदान किया, इसके लिये प्रख्यात हुये। वे हमारे प्रदेश का जो पहला मन्त्रिमंडल बना था उसके मंत्री थे और ऐसे विभागों के मंत्री थे जिनका सम्बन्ध गांव के उत्थान से था। उन्हें गांव के उत्थान में काफी दिलचस्पी थी। जो गांवों के उत्थान का कार्य और गांवों में नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ वह १९३७ में उनके मिनिस्ट्री में रहने के साथ-साथ शुरू हुआ। बहुत से सुझाते जो किसानों को लगान इत्यादि के सिलसिले में कानून के तहत में प्राप्त हुये वह उनकी वजह से मिले। वह १९४६ में भी जब हमें आजादी मिली और मंत्रिपरिषद् हमारे प्रदेश में आया तो वे उसके मंत्री बने और थोड़े ही दिन मंत्री पद पर रहकर उड़ीसा के गवर्नर बनाये गये और उड़ीसा के गवर्नर का कार्य थोड़े ही दिन उन्होंने किया था कि वे बंगाल के गवर्नर नियुक्त किये गये और बंगाल के गवर्नर का कार्य उन्होंने दो-तीन वर्ष तक किया फिर वे केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य करने के लिये बुला लिये गये और वहां डिफेन्स मंत्री का भी काम थोड़े दिन उन्होंने किया और बाद में वे हमारे पड़ोस के प्रदेश के मुख्य मंत्री भी बने। वहां कई वर्षों तक मुख्य मन्त्री के पद पर उन्होंने कार्य किया। वे सदा याद रखे जायेंगे अपनी त्याग और बलिदान की उन प्रवृत्तियों के लिये जो देश की सेवा के लिये ३०,३५ वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने दिखाई।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त—]

डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हमारे देश की आजादी की लड़ाई के उन सेनानियों में से रहे जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई के प्रारम्भ से ही एक अध्यापक के कार्य को छोड़कर गांधी जी के आन्दोलनों में हिस्सा लेना प्रारम्भ किया और बाद में जब वह आन्दोलन स्थगित हुआ तो वे कौंसिल के मेम्बर चुने गये और हमारी कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी रहे और हमारे प्रदेश के कांग्रेस संगठन में उनका एक उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान रहा। १९३०–३१, ३२–४१ और ४२ के आन्दोलनों में बराबर उन व्यक्तियों में रहे जो आन्दोलनों में अगुवा बनकर बहुतों को प्रभावित करते रहे।

इस बीच के अवसर में उन्होंने अपना संबंध उस संस्था से जोड़ कर रखा, बहुत से नवयुवक पैदा किये जो आजादी की प्राप्ति के समय और बाद में विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और वहां पहुंच कर उनकी दीक्षा के अन्तर्गत बहुत से ऊंचे-ऊंचे स्थानों को सुशोभित किया। मेरा तात्पर्य यह है कि उनका संबंध काशी विद्यापीठ से रहा। उसके अध्यापक के रूप में और चांसलर के रूप में उन्होंने कार्य किया। अध्यापक के रूप में जिन व्यक्तियों को उन्होंने शिक्षा प्रदान की, जैसा कि मैंने अभी कहा वे व्यक्ति देश के सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चमके।

१९३७ के मंत्रिमंडल में व शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वह कार्य प्रारम्भ किया जिनके द्वारा शिक्षा जगत में नया प्रकाश सब को मिला और उसके बाद जब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। फिर १९४२ के आन्दोलन में वे जेल गये और जेल से छूटने के बाद १९४६ में जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल प्रदेश में बना तो वे मंत्री बने और १९५४ तक वे शिक्षा विभाग, गृह विभाग और वित्त विभाग के मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। उनके कार्य-काल में शिक्षा की प्रगति हुई और श्रम मन्त्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है उसे श्रमिक वर्ग नहीं भुला सकता है और न वे ही व्यक्ति भुला सकते हैं जो उनके सम्पर्क में आये।

वे हमारे प्रदेश में मुख्य मन्त्री भी बने और मुख्य मन्त्री के रूप में उन्होंने प्रदेश की तरक्की और प्रगति के लिये विभिन्न दिशाओं में कार्य किया। मुख्य मन्त्री के पद को संभालने के बाद वे राजस्थान के राज्यपाल बने और वहां भी उन्होंने उन गुणों का परिचय दिया जो गुण उनसे जुड़े हुये थे, उनकी निर्भीकता और विचारों की स्वतंत्रता जिसके लिए वे सदैव प्रसिद्ध रहे उन्होंने विचारों की स्वतंत्रता को कभी छोड़ा नहीं। वे प्रगतिशील व्यक्ति थे। वे समाज की रूढ़ियों को खत्म करना चाहते थे और समाज में नवीन विचारों को उभरते हुए देखना चाहते थे। कांग्रेस समाजवादी दल के एक अगुवा के नाते उन्होंने कांग्रेस में नवीन विचारों को पैदा करने का प्रारम्भ से ही प्रयास किया और अन्त तक वे उन विचारों को अपना साथी बनाये रहे। वे भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और उस संस्कृति के अनुकूल शिक्षा की पद्धतियों में परिवर्तन करना चाहते थे और समाज को उन विचारों के अनुरूप बनाने की आकांक्षा सदैव रखते थे। वे विद्वान थे। उन्होंने बहुत-सी पुस्तकें भी लिखी हैं। वह अखबारनवीस भी थे। कई मर्तबा उन्होंने कई अखबारों के सम्पादक का पद भी ग्रहण किया और अखबारों का सम्पादन निर्भीकता से किया। ऐसा विद्वान, ऐसा विचारक, जैसे सम्पूर्णानन्द जी थे, वह हमारे बीच से उठ गया। वह अपनी मिसाल हमारे बीच में छोड़ गया है। वह हम सब को आज भी प्रेरणा देगा, रास्ता बतलायेगा, आगे आनेवाली पीढ़ी उससे सबक लेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी भी हमारे प्रदेश और देश के उन नेताओं में रहे जिन्होंने देश में हिन्दू और मुसलमानों को एक साथ करने की चेष्टा की। वे अपने विश्वासों के दृढ़ी थे। हम सब १९३७ के उस चुनाव को भूले नहीं हैं जिस चुनाव में वे चुनकर आये थे मुसलिम लीग के टिकट पर। वे कांग्रेस मंत्रिमंडल के मन्त्री बने थे। मुस्लिम लीगियों ने उन्हें चुनौती दी थी। उन्होंने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और फिर से वे चुनाव के मैदान में उतरे थे और अपने विचारों को ले कर वे फिर से चुन कर आये थे। और इस तरह से उन्होंने साम्प्रदायिक

विचारधाराओं को चुनौती दी । वे भी हमारे प्रदेश में बहुत दिन तक मंत्री के पद पर रहे। बहुत सी इस प्रदेश में सड़कें—बहुत सी नहरें और बहुत से स्थानों पर बिजली के कारखाने जो आज प्रदेश में दिखायी पड़ रहे हैं वे उनके द्वारा, उनकी सूझ-बूझ के द्वारा निर्मित हुए थे और उन्हीं चीजों ने प्रदेश को प्रगति का मार्ग दिखाया था ।

वह हमारे प्रदेश में यहां के वित्त मंत्री भी रहे थे और फिर वित्त मंत्री के बाद केन्द्रीय सरकार में गये थे और वहां इर्रीगेशन मंत्री के रूप में कई वर्षों तक कार्य करते रहे और बाद में वह पंजाब के राज्यपाल हुए। दुर्भाग्य से जब वह राज्यपाल का कार्य संभाले हुए थे, वह बीमार पड़ गये थे और काफी समय तक बीमारी में रहे थे और उसके बाद उनका देहावसान हुआ । प्रदेश के मुसलमानों में हिन्दू-मुसलमान एकता लाने के लिये जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है वह हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वह भी आज के दिनों में जब कहीं-कहीं हिन्दू-मुसलमान झगड़े की बात हम सुनते हैं—हमें हाफिज मोहम्मद इब्राहीम की याद आती है और उनके तौर-तरीकों की याद आती है, उनके ढंगों की याद आती है, जिन ढंगों से वह सब को मिला कर रखने की चेष्टा करते थे। हमें आज दुःख है कि वह हमारे बीच से उठ गये।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी भी हमारे प्रदेश के उन नेताओं में से थे, जो प्रारम्भ से ही ऐसे विचारों के अगुवा रहे हैं जिन विचारों ने इस देश में और इस प्रदेश में किसानों के बीच में और मजदूरों के बीच में जागृति पैदा की और उस जागृति ने प्रदेश के नवयुवकों को उन आन्दोलनों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जो आन्दोलन गांधी जी के नेतत्व में प्रदेश में चला। वह केवल राजनैतिक कार्यकर्त्ता और नेता नहीं थे, वह अखबार नवीस भी थे, अखबार के सम्पादक भी थे और अपनी पैनी लेखनी की शक्ति से वह हजारों और लाखों को अपने अखबार के जरिये रोजमर्रा प्रभावित किया करते थे। वह दो साल, डेढ़ साल पहले इस सदन के द्वारा काउन्सिल आफ स्टेट्स के सदस्य भी चुने गये थे। वह भी अपनी बीमारी के कारण हमारे बीच से, बहुत थोड़ी बीमारी के बाद उठ गये। हमें उनके निधन से अपार दुःख है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी तथा रऊफ जाफरी तो हमारे उन साथियों में से थे जो पिछली मंत्रि-परिषद् में कई वर्षों से मंत्री थे और जिन्होंने मंत्रियों के रूप में अपने विभागों की जिम्मेदारियां जो उनके कंधों पर पड़ी हुई थीं उनको ठीक तरह से संभाला था। एक के पास खाद्य और रसद का मोहकमा था, दूसरे के पास सहकारिता का मोहकमा था। उन दोनों व्यक्तियों ने उन मोहकमों में प्रगति लाने का भारी प्रयास किया था। वे भी थोड़े समय की बीमारी के बाद हमारे बीच से उठ गये।

श्री कल्याणचन्द जी मोहिले इलाहाबाद के सामाजिक जीवन में अपना एक स्थान रखते थे और वह सदा उस स्थान के कारण चुनकर आते थे। वह छोटी और गरीब जनता की अपनी नगरी में बराबर सेवा करते रहते थे।

श्री रामस्वरूप गुप्त प्रदेश के उच्च नेताओं में थे। वह गांधीवादी थे और उन्होंने बहुत सी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा खादी को पैदा करने वाली संस्थाओं को हमारे प्रदेश में और नगर कानपुर में स्थापित किया था और वे गांधी जी के उन प्रोग्राम्स को पूरा करने की दिशा में बराबर काम करते रहे जिन दिशाओं में गांधी जी ने अपने जीवन काल में कांग्रेसजनों को दिखलाया था।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त--]

श्री देवनारायण भारतीय प्रारम्भ से ही बड़े ही क्रान्तिकारी विचारों के व्यक्ति थे। क्रान्तिकारी आन्दोलन जब धीमा हुआ वे कांग्रेस में सम्मिलित हुए और वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की। बाद में वे कांग्रेस से अलाहिदा हुए और कांग्रेस से अलाहिदा होकर अपने विचारों के अनुकूल अपने जिले की जनता की सेवा करते रहे।

श्री देवेन्द्रसिंह मेहरा १९६२ के चुनाव में पहली बार नैनीताल जिले से चुन कर आये थे। वे नवयुवक थे, दुर्भाग्य से उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर की बीमारी में वे ५-६ महीने तक बीमार रहे और बहुत कम उम्र में वे हमारे बीच से उठ गये।

श्री शौकत हमीद खां मेरठ से बराबर चुने जाते रहे और वे वहां के सार्वजनिक जीवन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इसी तरह से अन्य साथी जिनके नाम पढ़ कर मैंने अभी सुनाये, वे अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने समय में कार्य करते रहे और जनता की सेवा सदन के सदस्य के नाते और अन्य क्षेत्रों में जन प्रतिनिधि के नाते करते रहे। इनमें से कई साथी बीमारी के कारण हमारे बीच से उठे और अभी मैंने जिन व्यक्तियों के नाम लिये हैं, उनमें से कई व्यक्ति सदन से सम्बन्ध रखते थे या जैसा कि मैंने कहा---इस सदन से राज्यपाल के रूप में सम्बन्ध रखते थे।

एक हमारे साथी श्री दरबारीलाल शर्मा थे जिनका नाम मैंने इस फेहरिस्त में नहीं पढ़ा है, वे हमारे यहां की विधान परिषद् के अध्यक्ष थे, उनका भी देहावसान, अभी थोड़े दिन हुए १२-१३ घंटे की बीमारी में हो गया। वे भी हमारे प्रदेश के उन सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में रहे जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही गांधी जी के आन्दोलनों में हिस्सा लेना प्रारम्भ किया और वे बराबर उन आन्दोलनों में हिस्सा लेते रहे। वे बरेली जिला परिषद् के अध्यक्ष के नाते बरेली की जनता की बहुत दिनों तक सेवा करते रहे। उन्होंने अपने जिले में बहुत सी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण किया। उन्हें आयुर्वेदिक पद्धति में बहुत विश्वास था और वे इंडियन बोर्ड आफ मेडिसिन के बहुत जमाने तक अध्यक्ष रहे और ऐसे अध्यक्ष के नाते उन्होंने बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के सदस्यों और वैद्यों के बीच में एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म देने की चेष्टा की जिससे कि वे लोग आधुनिक प्रणाली की जो जरूरी चीजें हैं उनको जानने, और सीखने का प्रयास व चेष्टा करें, वे हमारे बीच से चले गये।

एक और व्यक्ति हैं जो हमारे प्रदेश से सम्बन्ध नहीं रखते थे.....

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष---

इसके लिये कोई अन्य उपाय इस वक्त नहीं हो सकता।

वक्ता कुछ जोर से बोलें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

एक और व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूं और वह नाम है एक दूसरे प्रदेश के मुख्य मन्त्री का---और वे श्री अन्नादुराई थे। श्री अन्नादुराई अभी थोड़ा जमाना हुआ, तामिलनाड के मुख्य मन्त्री बने थे। उन्हें कैंसर का रोग हो गया। उसके कारण वे इलाज कराने अमरीका गये। यह प्रतीत होता था कि वे अच्छे हो गये परन्तु उनके लौट कर आने के थोड़े ही दिनों बाद वे हमारे बीच में से उठ गये। मद्रास राज्य के सार्वजनिक जीवन में उनका इतना महत्व था कि जिस का परिचय इसी बात से मिलता है कि जब वे संसार से चले गये तो लाखों लोगों ने उनके प्रति श्रद्धांजलियां अर्पित कीं और लाखों उनकी शव के पीछे थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने प्रदेश को ऊंचा उठाने की बराबर चेष्टा करते रहे। अध्यक्ष जी, मैंने थोड़े से शब्दों में इन सभी

भूतपूर्व राज्यपाल श्री होमी मोदी, भूतपूर्व सदस्य डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, सर्वश्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल जगमोहनसिंह नेगी, रऊफ जाफरी, कल्याणचन्द मोहिले, रामस्वरूप गुप्त, देवनारायण भारतीय, देवेन्द्रसिंह मेहरा, शौकत हमीद खां, काजी मुहम्मद सर्वत हुसैन, कुंवर रुकुम सिंह राठौर, फारूक चिश्ती, खान चन्द गौतम, गनपत सहाय, कन्हैई तथा विधान परिषद् के भूतपूर्व सभापति श्री दरबारी लाल शर्मा, श्रीर तामिल नाड के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री कांजीवरम् नटराजन अन्नादुराई के निधन पर शोकोद्गार

विभूतियों के प्रति जो श्रद्धांजलि मुझे अर्पित करनी थी, कर दी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी ओर से और इस सदन के सदस्यों की ओर से इस सदन की समवेदना इन तमाम साथियों के घरवालों के प्रति भिजवा दें और हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी आत्माओं को शान्ति प्राप्त हो।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस दुखदायी कर्तव्य को पूरा करते हुये अपने मित्र, नेता सदन ने जो कुछ भी कहा है, उसके साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। मैं यह जरूरी नहीं समझता कि जो विभूतियां अब हमारे बीच में नहीं रहीं उनके जीवनों के सम्बन्ध में कुछ कहूं। उन सभी ने अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि और अपनी रोशनी के मुताबिक देश की सेवा की और भी दूसरे प्रकार की कुर्बानियां दीं। परन्तु जो कुछ हुआ है वह कोई अनहोनी बात नहीं थी। मनुष्य यहां आता है और फिर जाता है। सिर्फ देखना यह है कि जितने दिन वह यहां रहता है वह अपने कर्त्तव्य का पालन करता है या नहीं। तो ये सज्जन सबके सब ऐसे थे जिनकी बाबत यह कहा जा सकता है कि जिस समय उन्होंने संसार में कदम रखा और जैसा भी संसार और अपना देश उन्होंने पाया उसको ऊंचा करने की कोशिश की। बस मनुष्य का इतना ही अधिकार है। उसकी कोशिश पूरी होती है या नहीं, उसको सफलता मिलती है या नहीं यह मेरे देखने की बात नहीं है और मेरे वश की बात भी नहीं है। यह हमारे प्रदेश और देश की बदकिस्मती है कि मेरी पीढ़ी के लोग अंग्रेजों के जमाने में अरमान रखते थे और अपने देश को फिर बड़ा बनाना चाहते थे और इसको उन्नति के शिखर पर आसीन करना चाहते थे वह हमारे अरमान पूरे नहीं हुये। ऐसे मौके पर मैं अपने साथियों की ओर से जितने यहां विपक्ष में बैठे हुये हैं और अपनी ओर से भी मैं केवल परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि वह हम सबको ऐसी बुद्धि दे और बुद्धि ही नहीं उससे अधिक ऐसा चरित्र दे कि जिस प्रकार की सेवा की आशा यह अभागा प्रदेश हमसे रखता है वैसी सेवा और अगर वैसी नहीं तो उसके अनुरूप कुछ सेवा हम से बन पड़े। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय यह चाहूंगा कि आप विपक्ष की सम्वेदना इन बजुर्गों और दोस्तों जो कि अब संसार में नहीं हैं उनके सम्बन्धियों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन तथा नेता, विरोधी दल ने जिन महान् विभूतियों के और देश भक्तों के सम्बन्ध में अपने विचार और भावनायें प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इनके कार्यों और सेवाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ संक्षेप में नेता सदन ने कह दिया और कुछ भावनाओं के बारे में विरोधी दल के नेता ने भी अपने विचार प्रकट कर दिये। मुझे अब कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कई तो ऐसी विभूतियां थीं जिन्होंने अपने देश में ऐसे कार्य किये हैं जो सदा ही याद रहेंगे। मैं एक दो का नाम भी लेना चाहता हूं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी बड़े विद्वान थे, त्यागी थे और विचारक थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। मैं यह समझता हूं कि अनेक लोगों का उन्होंने मार्गप्रदर्शन किया है जो आज यहां पर बैठे हुए हैं। चाहे वह मंत्रिमंडल के सदस्य हों और चाहे वह विरोधी दल के सदस्य हों उनके भी वह गुरू रहे हैं। ऐसी विभूतियों को हमने बहुत थोड़े समय में खो दिया यह बड़े दुख की बात है। जैसा नेता विरोधी दल ने कहा यह ठीक ही है कि जो यहां पर आता है उसको जाना ही है। राष्ट्रपिता कहा करते थे कि हरएक व्यक्ति की मृत्यु उसकी दोस्त होती है क्योंकि वह उसको कठिन और दुखी बुढ़ापे के जीवन से छुटकारा दिलाती है। बुढ़ापे में जो तकलीफ होती है उससे उसको मुक्ति दिलाती है। ऐसे महान् व्यक्तियों के चले जाने से उसके मित्रों और संबंधियों को अवश्य दुख होता है लेकिन यह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रकृति का नियम है तो उसके अनुसार यह होता है। इसलिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने इस सदन की सम्वेदना उनके संबंधियों के पास भेज दें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके बताये हुये मार्ग पर चलने की सुबुद्धि उनके सम्बन्धियों को दे। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इस सदन की परम्परा के अनुसार आप दो मिनट के लिये कृपाकर खड़े हो जायं और उनकी शांति के लिये परमात्मा से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) द्वितीय तथा तृतीय आदेश, १९६८*

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञप्ति संख्या ग—१ (र), ९०३५-१५-३९ (९)-६६ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय, (कठिनाइयों को दूर करना) द्वितीय आदेश १९६८ तथा (२) विज्ञप्ति संख्या ग—१ (र) १०९८-८- १५-३९ (९)-६६, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश १९६८ को,

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

१९६८-६९ के द्वितीय अनूपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने २१ दिसम्बर, १९६७ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २२ दिसम्बर, १९६७ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २ जनवरी, १९६८ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६८ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया है।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७ पर , जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने २१ दिसम्बर, १९६७ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के २२ दिसम्बर, १९६७ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २ जनवरी, १९६८ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६८ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन की प्रतियां सब को मिल गयी हैं ।

(आवाजें—नहीं मिली हैं ।)

तो नोटिस आफिस से आप कृपा करके लेलें जिनको नहीं मिली हैं । कल उसके ऊपर विचार होगा ।

इसलिये अब हम उठते हैं और कल ११ बजे यहां बैठेंगे ।

इसके बाद सदन ४ बजकर ४८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ:
१७ मार्च, १९६९ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये पीछे पृष्ठ.....पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के साथ समवेत दोनों सदनों को उनके १७ मार्च, १९६९ को प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा० बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी का अभिभाषण

विधान मण्डल के सदस्यगण,

इस महान प्रदेश के राज्यपाल होने के बाद और राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर आज पहली बार राज्य विधान मण्डल के सदनों को सम्बोधित करते हुये मुझे अपार हर्ष है। इस अवसर पर जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं।

अभी कुछ ही दिन पहले कुशल तथा कर्मठ नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में बनी मेरी मंत्रिपरिषद् ने कार्यभार संभाला है। उसे विभिन्न वित्तीय एवं विधायी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में निःसन्देह कुछ समय लगेगा। इसके अतिरिक्त पंचम वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट आने पर ही राज्य के वित्तीय संसाधनों के बारे में सही जानकारी हो सकेगी। इस कारण इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों के लिये लेखानुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से आपके समक्ष कामचलाऊ बजट प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी पेश किये जायेंगे। इस सत्र में आप से इन्हीं कार्यों को सम्पन्न करने की अपेक्षा की जायगी। आगामी वित्तीय वर्ष का अन्तिम बजट एवं अन्य विधायी कार्यों पर विचार के लिये आपको उसके बाद यथा समय बुलाया जायगा और तभी सरकार अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को विस्तार से आपके सामने रख सकेगी। इस समय मैं केवल कुछ मुख्य-मुख्य बातों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश भारत के सबसे पिछड़े हुये राज्यों में से एक है। इसके पिछड़ेपन का मूल कारण यह है कि हमारे प्रदेश की जन-संख्या बहुत है, परन्तु उस जन-संख्या का खयाल करते हुये प्रदेश की पिछली पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा काफी रुपया प्रदेश के विकास के लिये नहीं लगाया गया। दूसरे शब्दों में, इस प्रदेश के विकास पर अभी तक जो प्रति व्यक्ति रुपया लगाया गया वह उससे बहुत कम है जो सारे भारत में औसतन प्रति व्यक्ति खर्च किया गया। प्रदेश का आर्थिक विकास उपयुक्त मात्रा में बिना यथेष्ठ मात्रा में रुपया लगाये नहीं हो सकता। जो अब देश में पंचवर्षीय योजना बन रही है उसके सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया कि यदि उत्तर प्रदेश निवासियों की औसत आमदनी चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक केवल उतनी करने का उद्देश्य सामने रखा जाय जितनी कि आमदनी देश के औसतन निवासी की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने पर होगी तो उसके लिये भी ३,०५० (तीन हजार पचास) करोड़ रुपये की पूंजी आवश्यक होगी। इसमें से यह अनुमान लगाया गया कि १३५० (एक हजार तीन सौ पचास) करोड़ रुपये की पूंजी प्रदेशीय शासन द्वारा लगायी जाय और ८०० (आठ सौ) करोड़ की पूंजी केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के रूप में प्रदेश में लगायी जाय और ९५० (नौ सौ पचास) करोड़ रुपये की पूंजी प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश में लगे। इस प्रकार कुल ३,०५० (तीन हजार पचास) करोड़ रुपये की पूंजी लगायी जा सकती है। इसलिये प्रदेश की सरकार की तरफ से १,३५० (एक हजार तीन सौ पचास) करोड़ की योजना बना कर भारत सरकार तथा योजना आयोग को भेजी गयी। परन्तु खेद है कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण यह योजना स्वीकार न की जा सकी वरन् इसको घटा कर केवल ९५० (नौ सौ पचास) करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार तथा योजना आयोग ने प्रदेश के लिये स्वीकार की है। इस ९५० (नौ सौ पचास) करोड़ की रुपये की योजना को पूरा करने के लिये भी लगभग हमको अपने इस समय उपलब्ध साधनों के अलावा १७५ (एक

सौ पचहत्तर)) करोड़ रुपये के नये साधन पंचवर्षीय योजना काल में उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी। चौथी पंचवर्षीय योजना के संबंध में अन्तिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक में होगा और शासन इस बात की भरसक चेष्टा करेगा कि केन्द्र से अधिक सहायता मिले जिससे प्रदेश की योजना को कुछ और व्यापक बनाया जा सके और कुछ बहुत आवश्यक स्कीमें जिनको योजना का आकार कम होने के कारण काटना पड़ा उनको चौथी योजना के दौरान में कार्यान्वित किया जा सके। योजना के आकार को बढ़ाने के लिये हमको अपने साधन भी बढ़ाने पड़ेंगे और इस प्रश्न पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा।

पंचम वित्त आयोग की अन्तिरिम रिपोर्ट में हमारी ११६ (एक सौ सोलह) करोड़ रुपये की उचित मांग की तुलना में केवल ८३ (तिरासी) करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसमें बहुत से बचनबद्ध व्ययों व अनुपूरक अनुदानों द्वारा स्वीकृत मदों को भी हिसाब में नहीं लिया गया है। सरकार आयोग से अनुरोध कर रही है कि वह अपनी अंतिम रिपोर्ट में आय कर व आबकारी शुल्क का न्यायोचित अंश राज्य सरकार को दिलावे और ऐसा करते समय राज्य के पिछड़ेपन, जनसंख्या व प्रति व्यक्ति आय का विशेष ध्यान रखें।

सरकार राज्य के अन्दर भी क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की कोशिस करेगी और पिछड़े हुये इलाकों के विकास के लिये विशेष ध्यान देगी। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को राज्य के औसत स्तर पर लाने की कोशिशों में और तेजी की जायगी। पूर्वी जिलों के संबंध में पटेल आयोग की सिफायिशों को भी ध्यान में रख कर यथासंभव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया जायेगा। पर्वतीय विकास परिषद् के पूर्ण कालिक पदाधिकारियों को कुछ प्रशासनिक अधिकार देने पर भी विचार हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों का औद्योगिक सर्वेक्षण करने तथा औद्योगिक इकाइयां लगाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने का कार्य नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। अल्मोड़ा जिले के तीन विकास खंडों में चालू वर्ष में कृषि विकास के लिये रासायनिक खाद के उपयोग की योजना का शुभारम्भ किया गया है। यह योजना पश्चिम जर्मनी की सहायता से शुरू की गई है। आगामी वर्ष में इस योजना को एक वृहत रूप देकर पूरे जिले में एक बहुधन्धी और समन्वित योजना के रूप में चलाने का निश्चय किया गया है। जिन पिछड़े हुये इलाकों में बड़े बड़े उद्योग नहीं चलाये जा सकते या बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनायें नहीं चालू की जा सकतीं वह अस्पताल व सड़कें बनाने व नलकूप लगाये जाने तथा लघु उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

नई सरकार प्रदेश में कृषि विकास को सर्व प्रथम स्थान देगी और किसानों की उपज बढ़ाने के लिये जो भी सामान उनको आवश्यक होंगे उनको अधिक से अधिक मात्रा में और अधिक से अधिक सहूलियत के साथ उन तक पहुंचाने की चेष्टा करेगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये मुख्यतया ४ (चार) साधनों की आवश्यकता है अर्थात् अधिक उपज देने वाले बीज, सिंचाई, के साधन, उर्वरक तथा नाशिकीट नियंत्रण। इस वर्ष अधिक उपज देने वाले बीज ८७ (सत्तासी) लाख एकड़ क्षेत्रफल में बोये गये, जिसके विपरीत १९६९–७० (उन्नीस सौ उनहत्तर-सत्तर) का लक्ष्य १०१ (एक सौ एक) लाख एकड़ रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये जितना बीज और जितना उर्वरक आवश्यक होगा वह सब समय से काश्तकारों तक पहुंचाने के लिये पूरा पूरा प्रबन्ध किया जायगा। सिंचाई की व्यवस्था सरकारी बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं से तथा सरकारी नलकूपों से और काश्तकारों के निजी सिंचाई साधनों से होती है। सरकार की यह चेष्टा रहेगी कि जो भी सरकारी सिंचाई की योजनायें चालू हैं या आगे ली जायेंगी उनको शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय ताकि उनसे काश्तकारों को जल्दी से जल्दी पानी मिल सके। राम गंगा और गंडक दो बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनायें इस समय हाथ में हैं और इनको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिये जितने धन की आवश्यकता होगी उसका प्रविधान किया जायगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं पर भी काम हो

रहा है, विशेष पक्ष्ड कैनाल योजनाओं पर जिनसे भी काफी रक्बे को पानी मिल सकेगा। इनको भी कम से कम समय में पूरा करने की चेष्टा की जायगी। सरकारी नलकूपों के बनाने की क्षमता को भी शासन का अधिक से अधिक बढ़ाने का विचार है जिससे यह नल कूप जल्दी जल्दी तैयार हो कर पानी दे सकें। अभी तक १-१/२ (डेढ़) क्यूसेक के सरकारी नलकूप बनाये जाते थे परन्तु अब शासन की ३ (तीन) और ५ (पांच) क्यूसेक के ट्यूबवेल लगाने की भी स्कीम है जिससे अधिक मात्रा में खेती के लिये पानी उपलब्ध हो सकेगा।

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये शासन द्वारा जो सुविधायें मिलती रही हैं वे तो दी ही जायेंगी इसके अतिरिक्त शासन इस बात की भी चेष्टा करेगा कि वाणिज्य बैंकों से भी अधिक से अधिक मात्रा में प्रदेश के काश्तकारों को सिंचाई तथा कृषि विकास संबंधी कामों के लिये रुपया मिला करें। इस काम में प्रगति लाने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालय में एक ऐसी इकाई बनाने का प्रस्ताव है जिसका विशेष कर काम यही होगा कि वाणिज्य बैंकों से अधिक से अधिक रुपया काश्तकारों को कृषि संबंधी कार्यों के लिये दिलवाने का प्रबन्ध करे।

प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा कृषि विकास दोनों के लिये विद्युत् शक्ति का अधिक मात्रा में उपलब्ध होना नितान्त आवश्यक है। अतः चौथी पंचवर्षीय योजना में शासन की यह चेष्टा रहेगी कि अधिक से अधिक रुपया विद्युत् विकास के लिये रक्खा जाय ताकि इस प्रमुख क्षेत्र में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हो सके। विद्युत् उत्पादन शक्ति के बढ़ाने के साथ-साथ शासन का यह भी प्रयास रहेगा कि विद्युत् शक्ति के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध किया जाय। शासन विशेष कर इस बात की चेष्टा करेगा कि काश्तकारों को अपनी निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों के लिये बिजली आसानी से और शीघ्रता के साथ मिला करे। इस उद्देश्य से शासन ने अभी राज्य विद्युत परिषद् को काफी मात्रा में और ऋण देने का प्रबन्ध किया है और आगे भी सरकारी चेष्टा रहेगी कि अधिक से अधिक रूपया काश्तकारों को कनेक्शन देने के लिए दिया जाय।

प्रदेश के नये शासन का एक विशेष उद्देश्य हमारे औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने का होगा। पिछले साल भर के अन्दर प्रदेश में नयी फैक्टरियां और कारखाने स्थापित करने के लिये बहुत-सी सहूलियतें दी गई हैं। एक तो नई फैक्ट्रियों को अपने बनाये हुये माल को उत्तर प्रदेश के अन्दर बेंचने में बिक्री-कर से तीन साल के लिये छूट दी गई है। साथ ही साथ २३ (तेइस) उद्योग धंधों द्वारा प्रयोग में आने वाले कच्चे माल, पुरजों एवं संघटकों को भी बिक्री-कर से मुक्त कर दिया है जिससे हमारे प्रदेश की फैक्टरियों में बना हुआ माल दूसरे प्रदेश की फैक्टरियों में बने हुये माल से बाजार में बराबरी कर सकें। नये उद्योगों की स्थापना में काम आने वाली मशीनरी तथा माल बनाने के सामान को भी तीन वर्षों के लिये चुंगी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य विद्युत परिषद् ने नये उद्योगों को तीन वर्ष के लिये बिजली की दरों में १५ (पंद्रह) प्रतिशत की छूट दे दी है। नये शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि नये उद्योग धंधों के लगाने में सहूलियत पैदा करने के लिये एक उच्च स्तर की कमेटी मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित की जाय जिसमें ऐसे उद्योग लगाने के मसलों पर एक ही जगह विचार होकर शीघ्र निर्णय लिये जा सकें और उद्योग लगाने वालों को अलग-अलग भिन्न भिन्न विभागों से बातचीत करने में समय नष्ट न करना पड़े। इसके अलावा नये शासन ने आते ही भारत सरकार से कई उद्योगों को उद्योगीकरण संबंधी लाइसेंस देने पर भी जोर दिया जिसके फलस्वरूप पिछले चन्द दिनों में ही कुछ महत्वपूर्ण लाइसेंस प्रदेश के लिये प्राप्त किये गये हैं। नये शासन की बराबर यह चेष्टा रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही जितने अधिक से अधिक उद्योग-धंधे प्रदेश में लगाने की संभावना हो वे लगायें जायं ताकि यहां के रहने वालों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार उत्पन्न करने और किसानों की आमदनी की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से नया शासन ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का एक जाल बिछा देना चाहता है।

लघु उद्योगों की बढ़ोत्तरी में तेजी लाने की दृष्टि से २० (बीस) हार्सपावर की मशीन प्रयोग करने वाले छोटे उद्योगों को नौ (९) पैसे प्रति यूनिट तक का अनुदान शासन की ओर से दिया जाता है यदि उनका बिजली का रेट ९ (नौ) पैसे प्रति यूनिट से अधिक हो। अभी तक इस स्कीम के अन्दर एक उद्योग को पांच वर्ष तक ही यह अनुदान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त इस अनुदान को हासिल करने का तरीका कुछ मुश्किल था जिसके कारण बहुत कम ही लोग इसका फायदा उठा पाते थे। हाल में शासन ने पांच साल का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया है और साथ-साथ ऐसा प्रबन्ध किया है कि राज्य विद्युत परिषद् स्वयं यह छूट अपने बिजली बिलों में दे देगी और छूट का रुपया सीधे शासन से वसूल कर लेगी। यह एक बड़ी भारी सुविधा है जिसके देने से बहुत बड़ी संख्या में लोग उद्योग-धंधे चलाने में इस अनुदान का लाभ उठा पायेंग और शासन को आशा है कि इससे लघु उद्योग-धंधों के विकास में प्रगति आयेगी।

हर्ष का विषय है कि इस वर्ष औद्योगिक शांति बनी रही और मिल मजदूरों ने उत्पादन बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जायेगा और असंगठित उद्योगों के मजदूरों के कल्याण के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। राज्य की कर्मचारियों सम्बन्धी विवादों को निपटाने के लिये ह्विटले कौंसिल के तरह के संगठन पर भी विचार हो रहा है।

प्रदेश के विकास के लिये यातायात के साधन यानी, सड़क, पुल, आदि आवश्यक हैं। खास तौर से देहातों को नगरों से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण का विशेष महत्व है जिससे किसान व अन्य उत्पादक स्वयं नगरों में जाकर अपनी वस्तुओं का विक्रय कर सकें और अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकें। सरकार का इसकी ओर विशेष ध्यान है।

परिवहन के क्षेत्र में, रोडवेज अब तक पंचवर्षीय योजना से बाहर थी किन्तु अब इसे चौथी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तथा इसके लिये ५ (पांच) करोड़ रुपये का प्रावधान है। सरकार ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आदि पड़ोसी राज्यों से समझौता करके कुछ नये अन्तर्राज्यीय मार्ग पर भी बसें चलाने की व्यवस्था की है।

सरकार यह अनुभव करती है कि भावी पीढ़ी के निर्माण एवं विकास के लिये शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत कुछ करना है। चौथी योजना के काल में ६ (छः) से ११ (ग्यारह) वर्ष की आयु के ११,१८,००० (ग्यारह लाख अठारह हजार) अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत लाया जायगा। कुमायूं के लिये एक विश्वविद्यालय की स्थापना को चौथी योजना में शामिल किया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित डिग्री कालेजों को पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार की सहायता से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के हिन्दी प्रकाशन के लिये एक निगम की स्थापना की जा रही है। परीक्षार्थियों की संख्या बहुत बढ़ जाने के कारण हाई स्कूल व इन्टर मीडिएट बोर्ड के विकेन्द्रीकरण पर विचार हो रहा है।

सरकार को खेद है कि शिक्षकों द्वारा पिछले महीनों में हड़ताल का पथ अपनाया गया है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई को क्षति पहुंची है। भारतीय संस्कृति में शिक्षकों की एक गौरवमय भूमिका रही है और समाज में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सरकार भी उनके स्तर को उठाने तथा समाज में उनके स्थान को ऊंचा करने के लिये प्रति प्रयत्नशील है। सरकार के साधन सीमित हैं। फिर भी प्राथमिक अध्यापकों की कुल मासिक उपलब्धियों में पिछले जनवरी से काफी वृद्धि की गयी है जिसके फलस्वरूप ट्रेन्ड अध्यापकों को जिनको पहले १०० (एक सौ) रुपये मासिक मिलता था अब १२५ (एक सौ पच्चीस) रुपये मासिक मिलने लगा और अनट्रेन्ड अध्यापकों को नब्बे (९०) रुपये मासिक की जगह १०० (एक सौ) रुपये मासिक मिलने लगा। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अगस्त, १९६८ (उन्नीस

सौ अड़सठ) में सरकारी कर्मचारियों को दिया गया अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भी दे दिया गया है। उनके वेतन-क्रमों को भी संशोधित करना शासन ने स्वीकार कर लिया था और नई सरकार न कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद ही इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करवा दिये हैं। उनका नया अधिकतम वेतन राजकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों के बराबर कर दिया गया है और न्यूनतम वेतन भी पहले से बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि जहां भी किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पांच किलोमीटर की परिधि के अन्दर किसी बैंक की शाखा होगी वहां विद्यालय के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अपने अध्यापकों के वेतन का भुगतान क्रास्ड चेक के द्वारा करे। आशा है इससे वेतन सम्बन्धी बहुत सी शिकायतें दूर हो जायेंगी। कुछ डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के अध्यापक पिछली ४ (चार) फरवरी से हड़ताल पर रहे। यह हर्ष का विषय है कि मुख्य मंत्री की अपील पर उन्होंने ६ (छः) मार्च से हड़ताल समाप्त कर दी है। सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।

इस प्रदेश के थारू, भोटिया, भोक्सा, जौनसारी एवं राजी अर्थात् बनरावत समुदाय अनुसूचित आदिम जातियां घोषित कर दिये गये हैं। इन जातियों के विकास एवं उन्नति के लिये आगामी वर्ष से अनेक योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी। निःशुल्क शिक्षा, स्कालरशिप, कुटीर उद्योग, कृषि उत्थान इत्यादि सम्बन्धी वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त उनके लिये आश्रम पद्धति के विद्यालय स्थापित किये जायेंगे जिनमें उन्हें निःशुल्क शिक्षा के साथ ही साथ मुफ्त आवास, भोजन एवं वस्त्र की सुविधायें उपलब्ध होंगी। तीन लाख रुपये में ६० (साठ) परिवारों को खेती एवं रोजगारों पर पुनर्वासित किया जायेगा। इस प्रदेश की अनुसूचित जातियों एवं घोषित विमुक्त जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये बहुमुखी प्रयास जारी हैं। भोटिया लोगों के पुनर्वास की समस्या को सुलझाने के लिये सतत प्रयास किया जा रहा है। उनके लाभ के लिये सवाई आधार पर उन्नत नस्ल की भेंड़े देने और भेड़ें क्रय करने के लिये तकावी ऋण की व्यवस्था की गयी है। स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन्हें अच्छे तथा आधुनिक डिजाइन में ऊनी वस्त्र के उत्पादन में तकनीकी सलाह तथा अन्य सुविधायें देने के लिये विभिन्न केन्द्र खोले गये हैं। चौथी योजनाकाल में विशेष कर जिला पिथौरागढ़ के भोटिया कतकरों को निरन्तर रोजगार देने के लिये लगभग दस लाख रुपय की योजना चलायी जायगी। उत्तराखंड की चौथी योजना में पौने छः लाख रुपये की लागत की उद्योग एवं शिक्षा संबंधी कुछ परियोजनायें सम्मिलित की गयी हैं, जिनसे मुख्यतया भोटिया लोगों को लाभ होगा।

समाज कल्याण के क्षेत्र में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, चौथी योजना के आकार में कटौती के कारण गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। फिर भी इस क्षेत्र में सामाजिक रूप से उपेक्षित तथा शारीरिक रूप से विकलांगों की सहायता, असहाय महिलाओं एवं अनाथ शिशुओं की सरक्षा तथा अपराधोन्मुख बालकों के सुधार के कार्य जारी रहेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में वर्तमान योजनाओं का विस्तार करने के साथ ही साथ सेवारत महिलाओं के लिये होस्टल, असहाय तथा उपेक्षित महिलाओं के लिये आश्रम एवं प्रशिक्षण कर्मशालायें, उद्धारगृह आदि स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

संविधान के निर्देश को देखते हुए तथा गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में नई सरकार ने मद्य निषेध नीति का पुनरीक्षण किया और प्रदेश में रुक-रुक मद्य निषेध लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पहला कदम शासन ने यह उठाया है कि अगले वर्ष अर्थात् १९६९-७० (उन्नीस सौ उनहत्तर-सत्तर) में उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के तीन जिलों में मद्यनिषेध लागू किया जायगा। अभी तक प्रदेश में केवल सात तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध लागू था लेकिन अब इन पूरे तीन सीमावर्ती जिलों में जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा और बहुत से महत्वपूर्ण तीर्थस्थान हैं, मद्य निषेध लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त

जहां अभी सब जगह आबकारी की दुकानें सप्ताह में केवल एक दिन बन्द रहती हैं शासन सप्ताह में दो दिन बन्द रखना चाहता है और इसको कार्यरूप में परिणित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सरकार का लक्ष्य चिकित्सा की सुविधायें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने का रहेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में १८६६ (एक हजार आठ सौ उनहत्तर) चिकित्सालय मौजूद हैं, लेकिन जहां आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी नहीं है, एलोपैथिक चिकित्सालयों में लगभग ५०० (पांच सौ) डाक्टरों की कमी है । वर्तमान वर्ष में लगभग २०० (दो सौ) डाक्टरों की नियुक्ति हुई है । अनुमान है कि आगे राज्य की सेवा में डाक्टरों की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और सरकार यह प्रयास कर रही ह कि दो वर्ष में उनकी कमी पूरी हो जाय । फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों के जिन चिकित्सालयों में इस समय डाक्टर नहीं है उनमें मिश्रित प्रणाली के आयुर्वेदिक स्नातकों को नियुक्त किया जायेगा, जो सामान्यत: बीमारियों और सर्जरी के काम को सभालने की क्षमता रखते हैं । इस तरह चेष्टा है कि सब चिकित्सालयों में आगामी साल में चिकित्सक उपलब्ध हो जायें । गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है ।

पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये चौथी योजना में १७ (सत्रह) करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें से ४,६०,००,००० (चार करोड़ साठ लाख) रुपया केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिये है । आगामी व में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ रुपया आबंटित किया गया है जिससे ९० (नब्बे) चालू योजनाओं पर कार्य होगा । हरिजन क्षेत्रों के लिये तथा आदिम जातियों के क्षेत्रों में कुएं बनवाने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ८५ (पचासी) लाख रुपये का प्राविधान अलग से किया गया है । इसके अतिरिक्त मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चालू जल सम्पूर्ति योजनाओं की गति बढ़ाने तथा पहाड़ी जिलों में, जहां पीने के पानी का नितान्त अभाव है, कुछ नयी योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है । इन योजनाओं की कुल लागत ५,१३,००,००० (पांच करोड़ तेरह लाख) रुपया है । गांधी शताब्दी वर्ष में इन योजनाओं के सम्पादन में तीव्रगति लाने हे ु इसी वर्ष एक करोड़ पये का प्राविधान किया जा रहा है जो जिला परिषदों के खातों में जमा किया जायेगा । इससे २,४०,००० (दो लाख चालीस हजार) आबादी के ६९७ (छः सौ सत्तानवे) गांव लाभान्वित होंगे ।

स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों की सेवा शर्तों की जांच हेतु १९६६ (उन्नीस सौ छियासठ) में गठित समिति की अधिकांश सिफारिशें शासन ने स्वीकार कर ली है तथा स्थानीय निकायों को इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं । इसके फलस्वरुप सफाई कर्मचारियों के ेतन एवं कार्य की दशाओं में पर्याप्त सुधार होगा । उनकी कष्टमुक्ति के उद्देश्य से फ्लश शौचालयों की व्यवस्था बनाने की दिशा में भी विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ।

गत मई जून में भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का आन्दोलन तथा उसके बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रशासन को काफी व्यस्त रहना पड़ा । आम चुनाव के दौरान पुलिस ने कर्त्तव्यपरायणता और सतर्कता का अधिकांश स्थानों पर परिचय दिया और स्थिति को काबू में रखा तथा चुनाव शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए । जहां कहीं कुछ कमी पायी जाने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, सरकार इस पर विचार कर रही है कि कहां और किस तरह कमी उत्पन्न हुई और उसे ठीक करने को उचित तथा न्यायसंगत कार्य करेगी । पुलिस की कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये तथा उसके जनता से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं । साम्प्रदायिक भावना को उभाड़ने वाले लेखों व समाचारों के विरुद्ध कार्यवाही तत्परता के साथ ही की जा रही है ।

जनता की सुविधा की दृष्टि से हल्द्वानी, फिरोजाबाद तथा राबर्टसगंज के सब डिवीजनल आफिसरों को तहसील हेडक्वार्टरों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। अन्य तहसीलों की बाबत विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है। राष्ट्रपति के शासन काल में तराई की जमीनों के संबंध में जांच करने के लिये कमेटी नियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट अभी हाल में शासन के पास आई है। पूरी रिपोर्ट पर तो निर्णय लेने में शासन का कुछ समय लगेगा परन्तु कमेटी की सिफारिशों पर अभी भी सरकार द्वारा विचार हो रहा है। कमेटी का एक सुझाव है कि नैनीताल जिले के तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट के क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम को लागू किया जाय। इस सिफारिश को शासन ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और उसे कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

टेहरी-गढ़वाल तथा रामपुर जिलों की अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में ऊंची मालगुजारी की दरों की ओर भी शासन का ध्यान गया है। शासन इस समस्या का अध्ययन करके निर्णय लेगा कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकता में सहायता के उद्देश्य से सचिवालय में एक नया विभाग स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि भाषायी अल्पसंख्यकों को प्राप्त विभिन्न संरक्षणों का लाभ उन्हें वास्तव में मिलता है राज्य सरकार ने गत दिसम्बर में एक उच्चस्तरीय सतर्कता समिति गठित की है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेशीय स्तर पर एक स्थायी आयोग की नियुक्ति की जाय जो अल्पसंख्यकों की समस्याओं तथा कठिनाइयों का अध्ययन करके सरकार को सलाह दे और यह देखें कि सरकार के निर्णय और नीतियां कहां तक कार्यान्वित हो रही हैं।

अंग्रेजी में पारित पुराने कानूनों का प्रमाणित हिन्दी पाठ के प्रकाशन और समस्त प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था कानून द्वारा की जा चुकी है। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के अनिवार्य प्रयोग के लिये कड़े आदेश अभी हाल ही में जारी किये गये हैं। हिन्दी के विकास के लिये लखनऊ में ११,००,००० (ग्यारह लाख) रुपये की लागत से एक हिन्दी भवन के निर्माण का निश्चय किया गया है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान इस प्रदेश के लिये प्रधिनियमित कुल अठारह राष्ट्रपति अधिनियम गत २६ (छब्बीस) फरवरी से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभाव में न रहेंगे जब तक कि उनके उपबन्ध विधान मंडल द्वारा उससे पहले दुबारा पारित न कर दिये जायें। आवश्यकतानुसार इसके लिये यथासमय आपके सामने विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे।

मैंने उन समस्याओं की ओर जो आपके सामने हैं तथा उन कार्यों की ओर जिन्हें आपको करना है, संक्षेप में संकेत किया है। गरीबी एवं बेरोजगारी मिटाने और प्रदेश को कृषि व उद्योग के क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिये सरकार कृत संकल्प है। विघटनकारी तत्वों के प्रकट होने के कारण प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति संदेह की उठती हुई आवाजें हम सब के लिये चुनौती हैं। जनता ने आम चुनावों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया है और प्रजातन्त्र में अपनी सुदृढ़ आस्था प्रकट की है। प्रजातंत्र की सफलता के लिये शासन के स्थायित्व के साथ-साथ एक मजबूत व रचनात्मक विरोधी दल की आवश्यकता भी सर्व विदित है। न केवल हम सब को वरन समस्त जनगण को मात्र राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत होकर लगन एवं निष्ठा से इस प्रकार कार्य करना है कि राज्य में सुख व समृद्धि की गंगा बहने के साथ साथ जन मन में प्रजातंत्र के प्रति आस्था अचल रहे। राष्ट्रपिता की जन्म शताब्दी के इस वर्ष में उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि आप, जो इस प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, न केवल इस प्रदेश को, वरन सारे देश को, इस दिशा में नेतृत्व प्रदान करेंगे।

जय हिन्द

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६ एल० ए०—१९६९—८७० ।